



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2009/अश्विन 20, 1931

No. 317]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2009/ASVINA 20, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2009

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सिरमिक टाइलों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 14/06/2008-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और उसके तहत बनाए गए सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि एवं प्रक्रिया

2. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है :—

- उपर्युक्त नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्स एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लि. एवं मेसर्स कजारिया सिरमिक्स लि. द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विट्रीफाइड टाइलों से इतर सिरमिक ग्लेज्ड टाइलों, जिनकी कम से कम एक साइड (लंबाई अथवा चौड़ाई) 17 इंच/431.80 मिलीमीटर (मिमी.)/43.18 सेंटीमीटर (सेमी.)/1.4167 फुट (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) से अधिक हों, के पाटन का आरोप लगाया गया था।
- प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जांच की शुरुआत करना उचित समझा था। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसरण में जांच की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व पाटन का आरोप प्राप्त होने के संबंध में संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को सूचित किया था।

जांच की कार्यवाई शुरू करने से पूर्व पाटन का आरोप प्राप्त होने के संबंध में संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को सूचित किया था ।

- III. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 69 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयातों के संबंध में घाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए दिनांक 17.10.08 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।
- IV. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों (जिनके नाम एवं पते प्राधिकारी के पास उपलब्ध थे) को अग्रेषित की थी और नियम 6(2) के अनुसरण में उन्हें अपने विचार उक्त पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में भिजवाने का अवसर प्रदान किया था ।
- V. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी ज्ञात आयातकों (जिनके नाम व पते प्राधिकारी के पास उपलब्ध थे) को और नियम 6(2) के अनुसरण में उन्हें अपने विचार उक्त पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में भिजवाने की सलाह दी थी ।
- VI. वाणिज्यिक अधिसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता से जांच अवधि तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तुओं के भारत में किए गए आयात का ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । इस जांच परिणाम में आयातों के संबंध में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदेवार आंकड़ों पर विश्वास किया गया है ।
- VII. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों एवं संबद्ध देश के दूतावास को भिजवाई थीं । अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उनके अनुरोध पर अगोपनीय आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई थी ।
- VIII. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसरण में ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों के अनुसरण में ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए उन्हें एक-एक प्रश्नावली भिजवाई थी ।
- IX. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरुआत अधिसूचना का उत्तर दिया है और सूचना प्रदान की है :-
 - (क) टॉपब्रो सिरैमिक्स कं.लि. (उत्पादक) एवं फोशान जुनजिंग इंडस्ट्रियल कं.लि. निर्यातक

- (ख) गुआंगडांग विन्टो सिरेमिक्स कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक)
- (ग) लुई वैलेन्टिनो (इनर मंगोलिया) सिरेमिक कं. लि. (उत्पादक) एवं फोशान एचसीसी बिल्डिंग मेटेरियल कं. लि. (निर्यातक)
- (घ) फोशान शुनशुई समिट सिरेमिक कं. लिमिटेड एवं शुनशुई न्यूपर्ल बिल्डिंग (उत्पादक) - फोशान न्यूपर्ल ट्रेड कंपनी लि. एवं फोशान समिट कानजियांग सिरेमिक कं. लिमिटेड (निर्यातक)
- (ङ) सिचुआन न्यू जोंग युआन सिरेमिक कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक), फोशान न्यू जोंग युआन सिरेमिक कं. लि. (उत्पादक), फोशान लुंगो सिरेमिक्स कंपनी लि. (निर्यातक), फोशान सिटी सेण्डबो सिरेमिक्स कं. लि. (निर्यातक), न्यू जोंग युआन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ऑफ गुआंगडांग (निर्यातक), फोशान जिन यूई सिरेमिक कं. लि. (निर्यातक), कंपनी का नाम: फोशान जिन नान यूई बिल्डिंग सिरेमिक्स कं. लिमिटेड (निर्यातक)
- (च) आर.ए.के. (गाओ याओ) सिरेमिक्स कं. लि. (निर्यातक)
- (छ) किंगकांग बिल्डिंग मेटेरियल कंपनी लिमिटेड
- (ज) फोशान फोटाइल्स सिरेमिक्स कंपनी लि. (निर्यातक)
- (झ) गुआंगडांग औया सिरेमिक कं. लि.
- (ञ) मै. गोयाओ टेगोट सिरामिक्स कंपनी लि., विनिर्माता एवं संबद्ध निर्यातक मै. फोशान एसरलास्टिंग कंपनी लि. (निर्यातक), चीन
- (ट) रत्नागिरि सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आयातक)
- (ड) द कर्नाटक मार्बल एंड ग्रेनाइट एसोसिएशन

X. अन्य निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस जांच में सूचना प्रस्तुत नहीं की, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

XI. सभी ज्ञात निर्यातकों एवं चीन जन.गण. के दूतावास को एक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एचईटी) प्रश्नावली अग्रेषित की गई थी। जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. में जहां सामान्य मूल्य पर चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की संरचित लागत के आधार पर विचार किया गया, वहीं प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों को सूचित किया कि वे आवेदकों की जांच यथा-संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 एवं पैरा 8 के आलोक में करने का प्रस्ताव

- करते हैं । अतः चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों से पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, ताकि प्राधिकारी यह विचार कर सकें कि क्या सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया जा सकता है ।
- XII. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार एक सार्वजनिक फाइल बनाकर उसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उसमें रखा और हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ इसे खुला रखा ।
- XIII. यह अभिनिश्चय करने के लिए कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा; इष्टतम उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण एवं बिक्री की लागत का आकलन करने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लागत जांच की गई ।
- XIV. प्रारंभिक परिणामों के बाद सभी इच्छुक पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रारंभिक परिणामों के संबंध में अपनी टिप्पणियां दर्ज करें ।
- XV. प्राधिकारी ने मौखिक रूप से इच्छुक पक्षकारों को सुनने के लिए 7.7.09 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की, जिसमें इच्छुक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इच्छुक पार्टियों से कहा गया था कि वे अपना संगत समझे गए इच्छुक पार्टियों से प्राप्त लिखित सुझावों एवं पक्षों पर परिणामों में विचार किया गया ।
- XVI. जिन निर्यातकों ने प्रारंभिक जांच परिणामों से पूर्व अपने सुझाव दर्ज किए थे और अंतरों को संशोधित किया था उनके आंकड़ों के स्तर सत्यापन पर उन आंकड़ों को यथासंभव आवश्यक सीमा तक ले लिया गया था ।
- XVII. नियम सुप्रा के नियम 16 के अनुसार परिणामों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्यों/आधार ज्ञात इच्छुक पक्षकारों को बता दिए गए हैं और उनसे प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है ।
- XVIII. इस अधिसूचना में *** एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना प्रदर्शित करता है, जिसे नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी ने गोपनीय माना है ।
- XIX. जांच दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से शुरू करके 31 मार्च, 2008 (12 माह) अर्थात् जांच अवधि तक की गई । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2004-मार्च, 2005, अप्रैल, 2005-मार्च, 2006, अप्रैल, 2006-मार्च, 2007 तथा जांच अवधि को शामिल किया गया ।

ख. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

3. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद विट्रीफाइड टाइलों से इतर सिरैमिक ग्लेज्ड टाइलों, जिनकी कम से कम एक साइड (लंबाई अथवा चौड़ाई) 17 इंच/431.80 मिलीमीटर (मिमी.)/43.18 सेन्टीमीटर (सेमी.)/1.4167 फुट अधिक हो, है। इन वस्तुओं को भवनों की दीवारों एवं फर्श के आच्छादन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 6908 9090 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

4. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जिनका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। पाटित आयातों और घरेलू तौर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश द्वारा पाटित वस्तुओं के "समान वस्तु" है। दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं; और अतः इन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तुएं" माना जाना चाहिए।

5. कर्नाटक मार्बल एंड ग्रेनाइट एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि :-

(i) आवेदक के उत्पाद एवं घरेलू उद्योग के अन्य सदस्यों के उत्पाद तथा चीन जन.गण. से आयातित उत्पाद वास्तविक दृष्टि से एक समान हैं और उनका "समान वस्तु" होना संख्यात्मक निर्धारण के अध्याधीन है और यह कहा गया है कि उपर्युक्त वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों और अंतिम उपयोग में कोई भिन्नता नहीं है। तथापि समानता को सिद्ध करने के लिए शुरु की गई प्रक्रिया हेतु कोई संख्यात्मक सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। इस बीच एसोसिएशन ने आवेदकों के उत्पादों तथा घरेलू उद्योग के अन्य सदस्यों के उत्पादों एवं चीन जन.गण. से आयातित उत्पादों के नमूनों के परीक्षण हेतु भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान, बंगलौर (एमएसएमईडीआई) से संपर्क किया है। उक्त रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं। ये रिपोर्टें "समान वस्तु" के निर्धारण में महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि कुछेक विनिर्देशनों, जिन्हें अन्यथा अमहत्वपूर्ण समझा जाता है, के कारण टाइलों की कीमतों में काफी हद तक भिन्नता आती है। प्राधिकारी द्वारा नोट किया गया है कि एसोसिएशन ने ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। तत्पश्चात् फेलिक्स सिंगर एवं सोनजा सिंगर द्वारा लिखी गई "इण्डस्ट्रियल सिरैमिक्स" शीर्षक वाली पुस्तक की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई थी।

(ii) यह भी निवेदन किया गया है कि आयातित टाइलों एवं घरेलू तौर पर विनिर्मित भारत में बेची जा रही टाइलों की बारीकी से जांच एवं तुलना करने पर यह ज्ञात होगा कि घरेलू तौर पर विनिर्मित टाइलों की तुलना में आयातित टाइलों की गुणवत्ता काफी कम है। यह निवेदन किया गया है कि दोनों को किसी भी तरीके से "समान वस्तु" नहीं माना जा सकता।

- (iii) एसोसिएशन ने चीन से हाल ही में आयातित टाइलों से संबंधित कतिपय ब्यौरा और आंकड़े एकत्र किए हैं, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि आयातित टाइलों की बिक्री उच्चतर कीमत पर की जा रही है, जैसा कि आवेदक ने तर्क प्रस्तुत किया है।
- (iv) जहां तक संबद्ध वस्तुओं का संबंध है, आवेदक की टाइलों और अन्य घरेलू उत्पादों के टाइलों की बिक्री कीमतों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अन्य घरेलू उत्पादकों की तुलना में अपने उत्पादों की बिक्री जिस कीमत पर करते हैं वह 15 रु. से 17 रुपए प्रति वर्ग फुट अधिक है।

6. प्राधिकारी ने इस मुद्दे का विस्तृत जांच की है और नोट किया है कि "समान वस्तु" से तात्पर्य एक जैसी दिखने वाली वस्तु से नहीं है। घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तुओं को "समान वस्तु" तभी माना जाएगा जब वह संबद्ध वस्तुओं द्वारा वाणिज्यिक एवं तकनीकी दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हो। इस मामले में संबद्ध वस्तुएं घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तुओं को प्रत्यक्षतः प्रतिस्थापित कर रही हैं और उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यह भी नोट किया गया है कि साइज और किस्म आदि के कारण भी कीमतों में अंतर आ सकता है। तथापि, ऐसे अंतर के कारण घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तुओं को "समान वस्तु" मानने से रोका नहीं जाएगा क्योंकि यह संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा प्रतिस्थापनीय है। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना है।

7. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद एसोसिएशन ने पुनः यह उल्लेख किया कि कुछ टाइलें (गैर-पीयूसी) पीयूसी का स्थान ले सकती हैं, अतः उन्हें समान वस्तु माना जा सकता है। एसोसिएशन से यह कहा गया था कि वे अपने दावे को पुष्ट करें, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकारी पिछले पैराग्राफ में पहले ही लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते।

ग. आवेदकों एवं घरेलू उद्योग की स्थिति

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवेदन मैसर्स एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड और मैसर्स कजारिया सिरेमिक्स लि. ने प्रस्तुत की है। इन उत्पादकों का भारतीय उत्पादन में योगदान 100% है।

9. कर्नाटक मार्बल एसोसिएशन ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि टाइलों के दो विनिर्देशन हैं जो विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये टाइलें 300x450 और 400x600 के विनिर्देशन की हैं। ये टाइलें भारत के अनेक उत्पादकों द्वारा विनिर्मित की जाती हैं। आवेदकों का तर्क है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के केवल वही एकमात्र विनिर्माता हैं। निवेदन किया गया है कि यह बक्तव्य सर्वथा गलत है। एसोसिएशन यह दिखाने की स्थिति में है कि आवेदक भारतीय घरेलू उत्पादन का 25% भी उत्पादन नहीं करते, 100%

उत्पादन की तो बात ही अलग है। आवेदकों का यह दावा कि केवल वे ही घरेलू उद्योग हैं, गलत है। यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदकों पर है कि जांच की शुरुआत हेतु सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 5(3) के परन्तुक के अंतर्गत उनके पास अपेक्षित योग्यता है। यह भी निवेदन किया गया है कि ऐसे अन्य उत्पादक भी हैं जो इसी साइज की टाइलों का उत्पादन कर रहे हैं और इस संबंध में कुछेक कोटेशन, जो इन उत्पादकों के बतए गए हैं, भी प्रस्तुत किए गए हैं।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों के अलावा कोई भी उत्पादक जांच का स्पष्ट रूप से समर्थन करने अथवा विरोध करने के लिए सामने नहीं आया। इसके अलावा, इंडियन कौंसिल ऑफ सिरेमिक टाइल्स एंड सेनैटरी वेयर (आईसीसीटीएएस) और उत्पादक एसोसिएशन ने कहा है कि जिन साइजों की टाइलें जांच के अधीन हैं, उनका कोई और विनिर्माता नहीं है। अतः प्राधिकारी का यह अभिमत है कि इस जांच में आवेदकों की वांछित "स्थिति" प्राप्त है। इसके अलावा, आंकड़े उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का कुल उत्पादन में योगदान 100% है, अतः नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर वे घरेलू उद्योग हैं।

11. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मोरबी धुआ ग्लेज़ टाइल्स एसोसिएशन ने दावा किया कि उनके सदस्य "समान वस्तु" का उत्पादन कर रहे हैं। एसोसिएशन से यह कहा गया था कि वे अपने आवश्यक सूचना के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपनी बात प्रस्तुत करें, परंतु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ या समान वस्तु के उनके उत्पादन की कोई सूचना उनके सदस्य ने प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्राधिकारी "स्टैंडिंग" के मुद्दे की पुनः जांच करने का कोई कारण नहीं पाते।

घ. गोपनीयता

12. प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन एवं बिक्री आदि से संबंधित आंकड़े गोपनीय नहीं रखे गए हैं, परंतु ग्राहकों, कीमतों तथा लागत से संबंधित सूचना गोपनीय मानी गई है। अन्य हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

13. सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों से संबंधित उनके गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार कर लिया गया है और आंकड़े/सूचना गोपनीय रखे गए हैं जैसा कि इस जांच में उनके द्वारा दावा किया गया है।

ड. अन्य मुद्दे

ड.1 आवेदक द्वारा आयात

14. कर्नाटक मार्बल एंड ग्रेनाइट एसोसिएशन ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मैसर्स कर्जनिया सिरेमिक्स लि. सिरेमिक टाइलों के आयातक और निर्यातक हैं। यह भी कहा गया है

कि यह सूचना उनकी वेबसाइट कजरिया वर्ल्ड पर भी उपलब्ध है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि मेसर्स कजरिया सिरेमिक्स लि. ने विट्रीफाइड टाइलों का आयात किया है न कि सिरेमिक टाइलों का। यह स्पष्ट किया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आयात नहीं किए गए।

पाटन मार्जिन के निर्धारण की विधि

च.1 निर्यातकों के उत्तरों की जांच तथा बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया निवेदन

15. यह निवेदन किया गया है कि भारतीय पाटनरोधी निम्नकारी के अंतर्गत चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। अतः चीन हेतु सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी निम्नकारी के अनुबंध के पैरा 2 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

16. यह भी निवेदन किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में घरेलू बिक्री कीमतों अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संरचित मूल्य अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश के लिए निर्यात कीमतों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। तथापि, सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर उल्लिखित विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सके, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य उचित आधार पर कर सकते हैं जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में भुगतान की गई वास्तविक कीमत, जिसमें लाभ की समुचित मार्जिन का भी विधिवत समायोजन किया गया हो, शामिल है।

17. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी समुचित तीसरे देश का ज्ञान पहले विकल्प के रूप में किया जाना अपेक्षित है। अतः यह प्रस्ताव किया गया कि इटली को बाजार अर्थव्यवस्था वाला समुचित तीसरा देश माना जाए। यह भी कहा गया था कि इटली में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण की क्षमता चीन जन.गण. की विनिर्माण सुविधा के लगभग समान है। इस प्रस्ताव के समर्थन में यह निवेदन किया गया है कि इटली में उद्योग संरचना, संयंत्रों की औसत क्षमता, लागत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी चीन जन.गण. की उद्योग संरचना, संयंत्रों की औसत क्षमता, लागत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी के लगभग समान पाई गई है और घरेलू उद्योग का इटली के उत्पादकों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि यह प्रस्ताव इस तथ्य से प्रेरित है कि इटली एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसमें स्थानीय उत्पादकों के बीच और आयातित वस्तुओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ऐसी स्थितियां बाजार निर्धारित कीमतों की अच्छी सूचक हैं।

18. जांच शुरुआत के चरण में प्राधिकारी पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ नियमावली के अनुबंध - 1 के पैरा 8(2) के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने की अवधारणा के साथ आगे बढ़े थे। जांच शुरुआत के उपरांत प्राधिकारी ने संबंध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत सूचना का उत्तर देने और उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण से सुसंगत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

19. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में गैर बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां भिजवाई थीं। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. की सरकार से भी अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह देने का अनुरोध किया था।

च.3 निर्यातकों के निवेदन और उनकी जांच

(क) फोशान शुनशुई समिट सिरेमिक कं. लिमिटेड एवं शुनशुई न्यूपर्ल बिल्डिंग (उत्पादक) - फोशान न्यूपर्ल ट्रेड कंपनी लि. एवं फोशान समिट कानजियांग सिरेमिक कं. लिमिटेड (निर्यातक)

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी अन्य जांच के दौरान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार हेतु इन उत्पादकों/निर्यातकों की जांच पहले ही की जा चुकी है। सत्यापन के दौरान प्राधिकारी की जानकारी में ऐसी कोई नई सूचना नहीं आई है जिसके फलस्वरूप इस समूह को पहले से दिए गए स्तर का परिवर्तन हो। अतः इन सत्ताओं के संबंध में नए सिरे से कोई जांच नहीं की गई है और जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ इन सत्ताओं को सिद्धांतों के अनुसार कार्यरत मान लिया गया है। इन सत्ताओं हेतु सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 1 से 6 के अनुसार किया गया है।

(ख) सिचुआन न्यू जोंग युआन सिरेमिक कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक), फोशान न्यू जोंग युआन सिरेमिक कं. लि. (उत्पादक), फोशान लुंगो सिरेमिक्स कंपनी लि. (निर्यातक), फोशान सिटी सेण्डबो सिरेमिक्स कं. लि. (निर्यातक), न्यू जोंग युआन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ऑफ गुआंगडॉंग (निर्यातक), फोशान जिन यूई सिरेमिक कं. लि. (निर्यातक), कंपनी का नाम: फोशान जिन नान यूई बिल्डिंग सिरेमिक्स कं. लिमिटेड (निर्यातक)

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी अन्य जांच के दौरान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार हेतु इन उत्पादकों/निर्यातकों की जांच पहले ही की जा चुकी है। सत्यापन के दौरान प्राधिकारी की जानकारी में ऐसी कोई नई सूचना नहीं आई है जिसके फलस्वरूप इस समूह को पहले से दिए गए स्तर का परिवर्तन हो। अतः इन सत्ताओं के संबंध में नए सिरे से कोई जांच नहीं की गई है और अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ इन सत्ताओं को अंतिम तौर पर

सिद्धांतों के अनुसार कार्यरत मान लिया गया है। इन सत्ताओं हेतु सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 1 से 6 के अनुसार किया गया है।

(ग) गुआंगडोंग विन्टो सिरैमिक कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक)

22. इस उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति हेतु गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने के लिए विस्तृत निवेदन प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी ने प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया और यह नोट किया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया जो उत्पादन लागत को खराब करे और उत्पादक की वित्तीय स्थिति को बिगाड़े। साथ ही यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं पाया जा सका कि महत्वपूर्ण व्यवधान पूर्व की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से हुए हैं। पैरा 8(3) के अन्य मानदंडों की भी जांच की गई जो कीमत, लागत और निवेश आदि के संबंध में निर्णय करने से संबंधित थे। तथापि, कंपनी की कार्यप्रणाली में कोई अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। उपर्युक्त दृष्टि से इस परिणाम के उद्देश्य से प्राधिकारी उत्पादक/निर्यातक को बाजार सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के योग्य पाने का निर्णय लेता है। उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 1 से 6 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

(घ) टॉपब्रो सिरैमिक्स कं.लि. (टापब्रो) (उत्पादक) एवं फोशान जुनजिंग इंडस्ट्रियल कं.लि. (जुनजिंग) (निर्यातक)

23. सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि उत्पादक ने आंकड़े बदल दिए हैं। यह भी नोट किया गया कि उत्पादक की बिक्री केवल घरेलू बिक्री बनाई गई थी। दस्तावेजों से उत्पादक के दावा किए गए निर्यात क्रियाकलापों को घरेलू बिक्री से अलग नहीं किया जा सकता। उत्पादक के रिकॉर्ड से उत्पादक का वास्तविक निर्यात सुनिश्चित करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट-2 में निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में बिक्री को भारत को घरेलू बिक्री के रूप में दर्शाया गया है।

24. उपर्युक्त के मद्देनजर उत्पादक और असंबद्ध व्यापारी के आंकड़े पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए नहीं दिए जा सकते।

(ङ) लुई वेलैन्टिनो (इनर मंगोलिया) सिरैमिक कं. लि. ("एल वी सी सी")(उत्पादक) एवं फोशान एचसीसी बिल्डिंग मेटेरियल कं. लि. (निर्यातक)

25. स्तर सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया कि उत्पादक ने समस्त बिक्री को केवल घरेलू बिक्री के रूप में दर्शाया। कंपनी के रिकॉर्ड से उत्पादक की दावा किए गए निर्यात क्रियाकलापों को घरेलू बिक्री से अलग नहीं किया जा सकता। यह भी नोट किया गया कि एक असंबद्ध व्यापारी के आंकड़े दिए गए थे जिसने भारत को निर्यात किया। अन्य असंबद्ध

व्यापारी ने भी उत्पादक से सामान खरीद कर निर्यात करने का दावा किया है और यह भी दावा किया गया था कि दूसरे व्यापारी द्वारा निर्यात अन्य देशों को किया गया था । तथापि, कंपनी के रिकॉर्ड से उत्पादक का दावा सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उत्पादक द्वारा समस्त बिक्री घरेलू बिक्री के रूप में दर्शायी गई है ।

26. उपर्युक्त के मद्देनजर उत्पादक एवं असंबद्ध व्यापारी के आंकड़े पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए नहीं लिए जा सकते ।

(च) आर ए के (गाओ याओ) सिरैमिक्स कं. लि.

27. उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक ने कमियों में संशोधन किया और आंकड़ों का सत्यापन किया गया । सत्यापन के दौरान यह नोट किया गया कि निर्यातक ने गलत रूप से यह सूचित किया कि समस्त बिक्री फैक्ट्री से बाहर की शर्त पर की गई थीं । यह भी नोट किया गया कि निर्यात सौदों से संबंधित व्यय भी गलत थे । सत्यापन के बाद आंकड़ों का एक संशोधित सैट दिया गया और यह सूचित किया गया कि आंकड़ों में सभी संशोधन कर दिए गए हैं । लागत संबंधी सूचना भी सत्यापन के दौरान संशोधित की गई थी । इस तथ्य की दृष्टि से कि उत्पादक/निर्यातक के आंकड़े गलत पाए गए हैं, अतः परिणाम में उनके उत्तर पर विचार किया गया है ।

28. स्पष्टीकरण विवरण के बाद यह कहा गया है कि स्पष्टीकरण विवरण में डीजीएडी ने आर ए के को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के बारे में उल्लेख नहीं किया है जबकि सत्यापन रिपोर्ट में दस्तावेज सही पाए गए हैं । यह अनुरोध किया गया है कि आर ए के के बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दावे अंतिम जांच परिणाम में पूरी तरह से स्वीकार किए जाने चाहिए । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर.ए.के. के आंकड़े रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे आंकड़े गलत थे, जैसा कि सत्यापन के दौरान पाया गया है । अतः बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के लिए इस संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण कर बाजार अर्थव्यवस्था प्रभार से संबंधित कोई निर्णय देने का कोई मुद्दा नहीं है ।

29. यह भी कहा गया है कि किए गए निर्यात सौदों से संबंधित आंकड़ों में वास्तविक अशुद्धता है "आर.ए.के. पूर्णतः डीजीएडी की आवश्यकता को नहीं समझता" । इन आवश्यकताओं को समझने में उसकी असमर्थता के कारण विभिन्न परिशिष्टों में कुछ त्रुटियां हो गई हैं "। यह भी कहा गया है कि "आर.ए.के. ने उन त्रुटियों को ठीक किया, जिन्हें वह पहचान सकता था और सत्यापन के आरंभ में ही आवश्यक संशोधन दर्ज कर दिए थे ।" इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर.ए.के. ने वस्तुतः भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए थे । यह समझ में नहीं आया कि सुपुर्दगी की शर्तों का सभी निर्यात सौदों के लिए फैक्ट्री से बाहर खुलासा कैसे हो गया, जबकि वस्तुतः कई सौदे एफओबी तथा सी आई एफ आधार पर थे । यह भी समझ में नहीं आया कि इन निर्यातों में होने वाले खर्चों को उन्होंने कैसे प्रकट नहीं किया । निर्यात बिक्री के बीजक अम.डॉ. में दिए गए थे, जबकि निर्यात की प्रश्नावली में यह सूचना चीनी मुद्रा में दी गई थी । दी गई सूचना इस प्रकार थी कि कोई सार्थक सत्यापन नहीं

किया जा सकता। सत्यापन के दौरान आंकड़ों में दो बार संशोधन किया गया, परंतु यह फिर भी गलत है। सत्यापन के बाद दल को संशोधित सूचना की प्रस्तुति का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि दी गई सूचना की शुद्धता का पुनः जांच करना संभव नहीं था।

30. यह उल्लेख किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार स्थल सत्यापन "दी गई सूचना के सत्यापन के लिए अथवा अन्य ब्योरे प्राप्त करने के लिए" किया जाता है। यह भी कहा गया है कि स्थल सत्यापन के मुख्य उद्देश्य में केवल दी गई सूचना का सत्यापन करना ही शामिल नहीं है, अपितु अन्य ब्योरे प्राप्त करना भी शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सत्यापन का मुख्य उद्देश्य पहले से दी गई सूचना का सत्यापन करना तथा पहले से दी गई सूचना के समर्थन आंकड़ों को देखना है। "अन्य आंकड़े प्राप्त करने" का अभिप्राय इस संदर्भ में दिए जाने की आवश्यकता है। इसका निर्वचन नई सूचना प्राप्त करने से नहीं है। सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह जांच करना है कि क्या दी गई सूचना सही है अथवा नहीं। इस मामले में आर.ए.के. ने वास्तव में केवल गलत सूचना ही नहीं दी बल्कि वह भ्रामक भी थी, जैसा कि सुपुर्दगी की शर्तों के संबंध में सूचना को उस सूचना के बारे में नहीं माना जा सकता, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी।

31. यह भी उल्लेख किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुबंध-2 के पैरा 5 में यह प्रावधान है कि "फिर भी दी गई सूचना हर दृष्टि से आदर्श नहीं हो सकती, इसे प्राधिकारियों के लिए उससे हटने का औचित्य नहीं होना चाहिए, बशर्ते इच्छुक पक्षकार ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य किया हो"। यह भी कहा गया है कि इस प्रावधान के अनुसार सूचना को रद्द करने से पहले डीजीएडी को यह जांच कर लेनी चाहिए थी कि आर.ए.के. ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य किया है और यह भी आरोप लगाया गया है कि डीजीएडी ने इस पहलू की पूर्णतः जांच नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आर.ए.के. ने मूल रूप में अनुमेय समय के बाद गलत उत्तर प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक जांच परिणाम में उनके उत्तर को छोड़ दिया गया था। प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विलंब को माफ कर दिया और कंपनी को कमियां ठीक करने की अनुमति दे दी तथा सत्यापन किया गया। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्यातक को उत्तर पूरा करने के लिए अवसर प्रदान किया था, परंतु निर्यातक ने भ्रामक सूचना दी जो सत्यापन के दौरान पाई गई। यह स्पष्ट नहीं है कि इसका यह अर्थ कैसे लगाया जाए कि निर्यातक ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार कार्य किया है जबकि वह सुपुर्दगी की वास्तविक शर्तों के संबंध में और निर्यात से जुड़े खर्चों की गलत सूचना दे रहा है।

32. यह भी अनुरोध किया गया है खंड 9 (क) का नया उप खंड 6(क) पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए अनिवार्य बना देता है। इस प्रावधान की शुरुआत के बाद डीजीएडी को निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा दी गई सूचना को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। डीजीएडी किसी सूचना को केवल तभी रद्द कर सकता है जब उत्पादक रिकॉर्ड अथवा सूचना देने में विफल रहे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नया प्रावधान का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि डीजीएडी को जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वे सब स्वीकार कर लिए जाएं भले

ही वे भ्रामक हों । इस मामले में हमने निर्यातक के आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वे गलत और भ्रामक थे ।

(छ) गुआंगडोंग औया सिरैमिक कंपनी लि.

33. निर्यातक ने उत्तर अनुमत्य अवधि के बाद और अत्यंत विलंब से प्रस्तुत किया । यह भी नोट किया गया है कि यह कंपनी औया ग्रुप की है और इस ग्रुप की विभिन्न कंपनियां विट्रीफाइड टाइलों व सिरैमिक टाइलों के उत्पादन व बिक्री में संलग्न हैं । यह भी नोट किया गया है कि ग्रुप कंपनियों के बारे में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद भी निर्यातक द्वारा कमियों को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया । अतः निर्यातक के उत्तर पर कोई विचार नहीं किया गया है ।

(ज) फोशान फोटाइल्स सिरैमिक कं.लि.

34. कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर अत्यधिक अंतर वाला पाया गया और उसके समर्थन में कोई आंकड़े नहीं दिए गए और कोई प्रमाण भी नहीं दिया गया । प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद कुछ सूचना प्रस्तुत की गई थी, परंतु कई मामलों में वह उत्तर अपूर्ण रहा । यह भी नोट किया गया कि आयातक द्वारा सूचना निर्यातक की ओर से दर्ज की गई थी, जिस पर विचार नहीं किया जा सकता । अतः उपर्युक्त कंपनी के उत्तर पर जांच परिणामों में विचार नहीं किया गया है ।

(झ) किंगकांग बिल्डिंग मटेरियल कं.लि.

35. इस कंपनी का उत्तर अत्यंत अपूर्ण पाया गया जिसके साथ कोई आंकड़े अथवा सहायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे । अतः जांच परिणाम में इस उत्तर पर विचार नहीं किया गया है ।

च.4 सामान्य मूल्य

च.5 चीन जनवादी गणराज्य से गैर-सहयोगी निर्यातकों तथा निर्यातकों, के लिए सामान्य मूल्य, जिनके उत्तरों पर विचार नहीं किया गया है ।

37. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था से उद्गमित आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 की अनुसार किया जाएगा । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7 में उपबंधित है कि

" गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से

संदर्भ अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी।"

38. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, सभी उत्तरदाता निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रस्तुत करते समय सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सहोदर देश के रूप में इटली का नाम प्रस्तावित किया था। तथापि, इटली में विनिर्माण के बारे में प्राधिकारी को कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया। सहयोगी निर्यातकों ने भी अपने उत्तरों में इटली के "बाजार अर्थव्यवस्था वाला एक समुचित तीसरा देश" होने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण "किसी अन्य समुचित आधार" पद्धति के अनुसार किया है।

39. सामान्य मूल्य की गणना के प्रयोजनार्थ भारत में कच्चे माल की कीमत, घरेलू उद्योग के उत्पादक के खपत मानदंडों एवं परिवर्तन लागत पर विचार किया गया है। सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए 5% की दर से लाभ भी जोड़ा गया है। इस विधि से सामान्य मूल्य का निर्धारण *** डॉलर प्रति वर्ग मीटर किया गया है।

च.6 सहयोगी निर्यातकों हेतु सामान्य मूल्य (जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया गया)

40. निम्नलिखित सहयोगी निर्यातकों, जिन्हें नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार अनंतिम तौर पर बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रदान किया गया है, के लिए सामान्य मूल्य की गणना के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार किया गया है :-

गुआंगडोंग विन्टो सिरैमिक कंपनी लि. (उत्पादक एवं निर्यातक)

41. उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक ने घरेलू बिक्री के सौदे-वार ब्योरे प्रस्तुत किए हैं। सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से गैर-संबद्ध ग्राहकों को समस्त घरेलू बिक्री सौदों पर विचार किया गया है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किए गए सौदों पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए विचार किया गया है। चूंकि घरेलू बिक्री सौदे फैक्ट्री से बाहर किए गए हैं अतः घरेलू बिक्री से संबंधित कोई भी व्यय समायोजित नहीं किया गया है। घरेलू बिक्री अलग-अलग ग्रेडों में अलग-अलग आकार की की गई है। पी यू सी अलग-अलग आकारों में निर्यात की गई है अतः भारत को संबंधित निर्यात बिक्री के साथ उसकी तुलना के लिए तुलनीय ग्रेड के उन समान आकारों के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है।

सिचुआन न्यू जोंग युआन सिरैमिक कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक), फोशान न्यू जोंग युआन सिरैमिक कं. लि. (उत्पादक), फोशान लुंगो सिरैमिक्स कंपनी लि. (निर्यातक), फोशान सिटी सेण्डबो सिरैमिक्स कं. लि. (निर्यातक), न्यू जोंग युआन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ऑफ

गुआंगडांग (निर्यातक), फोशान जिन यूई सिरमिक कं. लि. (निर्यातक), कंपनी का नाम: फोशान जिन नान यूई बिल्डिंग सिरमिक्स कं. लिमिटेड (निर्यातक)

42. विचाराधीन उत्पाद विभिन्न स्थानों पर स्थित इस समूह के दो उत्पादकों द्वारा निर्यात किया गया है। प्रत्येक उत्पादक ने घरेलू बिक्री के सौदे-वार ब्यौरे दिए हैं। उत्पाद-वार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से गैर-संबद्ध ग्राहकों को घरेलू बिक्री के समस्त सौदों पर विचार किया गया है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किए गए सौदों को सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए ध्यान में रखा गया है। चूंकि घरेलू बिक्री सौदे फैक्ट्री से बाहर के स्तर पर किए गए थे, अतः घरेलू बिक्री से संबंधित किसी भी व्यय को समायोजित नहीं किया गया है। पीयूसी को विभिन्न आकारों और श्रृंखलाओं में निर्यात किया गया है, अतः भारत को संबंधित निर्यात बिक्री के साथ उसकी तुलना के लिए समान आकारों और श्रेणियों के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है।

फोशान शुनशुई समिट सिरमिक कं. लिमिटेड एवं शुनशुई न्यूपर्ल बिल्डिंग (उत्पादक) - फोशान न्यूपर्ल ट्रेड कंपनी लि. एवं फोशान समिट कानजियांग सिरमिक कं. लिमिटेड (निर्यातक)

43. विचाराधीन उत्पाद इस समूह के दो उत्पादकों द्वारा निर्यात किया गया है। प्रत्येक उत्पादक ने घरेलू बिक्री के सौदे-वार ब्यौरे दिए हैं। उत्पाद-वार सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से गैर-संबद्ध ग्राहकों को घरेलू बिक्री के समस्त सौदों पर विचार किया गया है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किए गए सौदों को सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए ध्यान में रखा गया है। चूंकि घरेलू बिक्री सौदे फैक्ट्री से बाहर के स्तर पर किए गए थे, अतः घरेलू बिक्री से संबंधित किसी भी व्यय को समायोजित नहीं किया गया है। पीयूसी को विभिन्न आकारों और श्रृंखलाओं में निर्यात किया गया है, अतः भारत को संबंधित निर्यात बिक्री के साथ उसकी तुलना के लिए समान आकारों और श्रेणियों के लिए भारित औसत सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है।

च.7 सहयोगी निर्यातकों हेतु निर्यात कीमत

गुआंगडांग विन्टो सिरमिक कंपनी लि. (उत्पादक एवं निर्यातक)

44. इस निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए निर्यातों का सौदेवार ब्यौरा उपलब्ध कराया है। प्राथमिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु निर्यातों के सभी सौदों पर विचार किया गया है। समुद्री माल भाड़े, बैंक प्रभारों, वैट पर क्षति तथा अन्य व्ययों के संबंध में जो दावा निर्यातक ने किया है उसे कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजित कर लिया गया है। इस पद्धति से प्रत्येक आकार के लिए कारखाना द्वार भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण अलग-अलग किया गया है।

फोशान शुनशुई समिट सिरमिक कं. लिमिटेड एवं शुनशुई न्यूपर्ल बिल्डिंग (उत्पादक) - फोशान न्यूपर्ल ट्रेड कंपनी लि. एवं फोशान समिट कानजियांग सिरमिक कं. लिमिटेड (निर्यातक)

45. भारत को निर्यात दो संबंधित निर्यातकों के माध्यम से किए गए हैं। प्रत्येक निर्यातक के लिए निर्यात कीमत निम्नलिखितानुसार अलग-अलग परिकलित की गई है :-

फोशान न्यू पर्ल ट्रेड कंपनी लि. की निर्यात कीमत

46. उपर्युक्त निर्यातक ने भारत को निर्यात के सौदे-वार ब्यौरे दिए हैं। सत्यापन के बाद निर्यात के सभी सौदों पर विचार किया गया है। यह नोट किया गया है कि निर्यात बिक्री विभिन्न श्रृंखलाओं और आकारों की थी। जांच अवधि के दौरान सभी बिक्री सौदे एफ ओ बी की शर्तों के आधार पर थे। अंतरदेशीय भाड़े के निमित्त व्यय, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, दिए गए वेट पर क्षति तथा निर्यातक के एस जी ए खर्च फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत के परिकलन के लिए समायोजित किए गए हैं। दो विभिन्न उत्पादकों की संगत श्रृंखलाओं और आकारों के सामान्य मूल्य के साथ तुलना करने के लिए प्रत्येक श्रृंखला एवं आकार के लिए भारत औसत निर्यात मूल्य का परिकलन अलग-अलग किया गया है।

फोशान समिट कंगजियन सिरामिक्स कंपनी लिमिटेड की निर्यात कीमत

47. उपर्युक्त निर्यातक ने भारत को निर्यात के सौदे-वार ब्यौरे दिए हैं। सत्यापन के बाद निर्यात के सभी सौदों पर विचार किया गया है। यह नोट किया गया है कि निर्यात बिक्री विभिन्न श्रृंखलाओं और आकारों की थी। जांच अवधि के दौरान सभी बिक्री सौदे एफ ओ बी की शर्तों के आधार पर थे। जांच के दौरान यह नोट किया गया कि निर्यातक ने अंतरदेशीय भाड़े के निमित्त व्यय, सीमाशुल्क से संबंधित व्यय और बैंक प्रभारों के संबंध में व्यय प्रकट नहीं किया है। यह कहा गया था कि व्यय औसत एस जी ए खर्च देंगे जिनमें अंतरदेशीय भाड़े, सीमाशुल्क संबंधी व्यय और बैंक प्रभार शामिल होंगे। ये व्यय बाद में दिए गए परंतु व्यय सत्यापित नहीं थे क्योंकि इस निमित्त सीधे खर्च प्रत्येक सौदे के लिए अलग-अलग दिए गए हैं। अतः प्राधिकारी ने इस निर्यातक के लिए निर्यात कीमत परिकलित नहीं की है।

सिचुआन न्यू जोंग युआन सिरामिक कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक), फोशान न्यू जोंग युआन सिरामिक कं. लि. (उत्पादक), फोशान सिटी सेण्डबो सिरामिक्स कं. लि. (निर्यातक), फोशान लुंगो सिरामिक्स कंपनी लि. (निर्यातक), न्यू जोंग युआन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ऑफ गुआंगडॉंग (निर्यातक), फोशान जिन यूई सिरामिक कं. लि. (निर्यातक), कंपनी का नाम: फोशान जिन नान यूई बिल्डिंग सिरामिक्स कं. लिमिटेड (निर्यातक)

48. भारत को निर्यात निम्नलिखित संबंधित निर्यातकों के माध्यम से किए गए हैं। उत्पादक, फोशान वेलीफ़ेक बिल्डिंग मैटीरियल कंपनी लि. (जिसे पूर्व में फोशान न्यू जोंग युआन सिरामिक कंपनी लि. के नाम से जाना जाता था) से खरीदी गई सामग्री के लिए इन निर्यातकों हेतु निर्यात कीमतें अलग-अलग परिकलित की गई हैं।

- (क) फोशान सिटी सेण्डबो सिरेमिक्स कं. लि.
- (ख) फोशान लुंगो सिरेमिक्स कंपनी लि.
- (ग) न्यू जोंग युआन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ऑफ गुआंगडांग
- (घ) फोशान जिन यूई सिरेमिक कं. लि.
- (ङ) फोशान जिन नान यूई बिल्डिंग सिरेमिक्स कं. लिमिटेड

49. उपर्युक्त निर्यातक ने भारत को निर्यात के सौदे-वार ब्यौरे दिए हैं। सत्यापन के बाद निर्यात के सभी सौदों पर विचार किया गया है। यह नोट किया गया है कि निर्यात बिक्री विभिन्न श्रृंखलाओं और आकारों की थी। जांच अवधि के दौरान सभी बिक्री सौदे एफ ओ बी और सी एंड एफ की शर्तों के आधार पर थे। अंतरदेशीय भाड़े के निमित्त निर्यातकों के व्यय, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, दिए गए वेट पर क्षति, एसजीए खर्च और भाड़ा, जहां भी उपर्युक्त हो फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत के परिकलन के लिए समायोजित किए गए हैं। उत्पादक की संगत श्रृंखलाओं और आकारों के सामान्य मूल्य के साथ तुलना करने के लिए प्रत्येक श्रृंखला एवं आकार के लिए भारित औसत निर्यात कीमत का परिकलन निर्यातक-वार अलग-अलग किया गया है।

सिचुआन न्यू जोंग युआन सिरेमिक कं. लि. (उत्पादक एवं निर्यातक)

50. उपर्युक्त निर्यातक द्वारा भी भारत को निर्यात किए गए हैं। उपर्युक्त उत्पादक/निर्यातक ने भारत को निर्यात के सौदे-वार ब्यौरे दिए हैं। सत्यापन के बाद निर्यात के सभी सौदों पर विचार किया गया है। यह नोट किया गया है कि निर्यात बिक्री विभिन्न श्रृंखलाओं और आकारों की थी। जांच अवधि के दौरान सभी बिक्री सौदे सी एंड एफ की शर्तों के आधार पर थे। अंतरदेशीय भाड़े के निमित्त निर्यातकों के व्यय, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, दिए गए वेट पर क्षति, एसजीए खर्च और भाड़ा, फैक्ट्री से बाहर निर्यात कीमत के परिकलन के लिए समायोजित किए गए हैं। संगत श्रृंखलाओं और आकारों के सामान्य मूल्य के साथ तुलना करने के लिए प्रत्येक श्रृंखला एवं आकार के लिए भारित औसत निर्यात कीमत का परिकलन अलग-अलग किया गया है।

जिन गैर-सहयोगी निर्यातकों अथवा निर्यातकों के उत्तरों में कमियां पाई गईं या जिनके उत्तर उपर्युक्त नहीं पाए गए, उनके लिए निर्यात कीमत :-

51. असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु भारत को किए गए निर्यात के संबंध में डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदेवार ब्यौरे पर विचार किया गया है। चूंकि ये सौदे सीआईएफ आधार पर किए गए हैं, अतः कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए भारत में किए गए निर्यात के कारण किए गए व्ययों को समायोजित कर लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ समुद्री माल भाड़े, बीमे पर किए गए व्ययों पर विचार किया गया है और इन्हें समायोजित किया गया है। इस संबंध में सहयोगी आयातक द्वारा

प्रदत्त सूचना पर विश्वास किया गया है। इस पद्धति से कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण *** डॉलर/वर्ग मी. किया गया है।

च.8 पाटन मार्जिन

52. प्रकटीकरण विवरण के बाद घरेलू उद्योग ने यह प्रतिवेदन किया है कि पाटन मार्जिन एक उत्पादक अथवा/निर्यातक के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि "भारतीय पाटनरोधी कानून में पाटन मार्जिन के निर्धारण तथा उत्पादक एवं निर्यातक के संयोजन के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश किए जाने तथा उसे लगाए जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि एक अस्तित्व के लिए सामान्य मूल्य और दूसरे के लिए निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाए। पाटनरोधी प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं कि अलग-अलग पाटन मार्जिन एक ही व्यक्ति के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना है। किसी भी दशा में ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जहां पाटन मार्जिन दो या अधिक पक्षकारों के समूह के लिए निर्धारित की जाए, इस प्रकार एक संयोजन में कानून की कोई परिशुद्धता नहीं है" यह भी निवेदन किया गया है कि अनुबंध-1 में प्रयुक्त शब्द "निर्यातक अथवा उत्पादक" हैं और समस्त भारतीय पाटनरोधी नियमों में कहीं भी "निर्यातक और उत्पादक" शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। पाटनरोधी संबंधी विश्व व्यापार संगठन के करार में भी अभिव्यक्ति "निर्यातक अथवा उत्पादक" हैं न कि "निर्यातक और उत्पादक"। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाटन मार्जिन अलग अस्तित्व के लिए निर्धारित किया जाना है न कि संयुक्त रूप से या किसी समूह के लिए"। यह भी निवेदन किया गया है कि संयोजन शुल्कों की वर्तमान प्रणाली उत्पादकों के लिए इस बात को संभव बनाती है कि वे अपनी बिक्री की योजना इस तरह से बनाएं जिससे कि वे एक ऐसा रास्ता हमेशा खुला छोड़ सकें जिसमें पाटन मार्जिन कम से कम हो। चूंकि पाटन मार्जिन अनिवार्य रूप से उत्पादक विशिष्ट है, अतः यह स्पष्ट है कि किसी भी उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन भारत को किए जाने वाले सभी निर्यातों के लिए निर्धारित किया जाना है न कि उत्पादक की मर्जी पर चुनिंदा निर्यातों के लिए।

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में उत्पादक एवं निर्यातक समूह परस्पर संबंधी हैं। इसके अतिरिक्त, उसी समूह में उत्पादक भी परस्पर संबंधी हैं। इन समूहों के सभी निर्यात सौदे तथा घरेलू बिक्री पर भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए विचार किया गया है। वस्तुतः पाटन मार्जिन उत्पादन-वार अथवा निर्यातक-वार निर्धारित करने से एक चक्र बनेगा क्योंकि किसी भी अस्तित्व में प्रतिकूल पाटन मार्जिन से समूह द्वारा निर्यात के लिए एक रास्ता खुलेगा क्योंकि उस समूह में उत्पादक एवं निर्यातक का परस्पर संबंध है। संबंधित पक्षकार सौदों में जैसा कि वर्तमान में है, एक समूह के लिए एक पाटन मार्जिन सार्थक है।

54. यह भी कहा गया है कि प्राधिकारी को उन सभी उत्पादकों और निर्यातकों से पूर्ण सूचना मंगानी चाहिए जिन्होंने भारत को सामान की बिक्री की है और भारित औसत निर्यात और निर्यात कीमत प्रत्येक निर्यातक के लिए कोई अलग निर्यात कीमत निर्धारित किए बिना

सभी निर्यातकों के लिए निर्धारित की जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में उसी श्रृंखला/गुणवत्ता के उसी उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य की तुलना निर्यात कीमत से की गई है। प्रत्येक निर्यातक का अलग-अलग पाटन मार्जिन प्रत्येक निर्यात के भारत के आधार पर भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए संयोजित किया गया है। किसी भी दशा में भारत को निर्यात कीमत तथा घरेलू बिक्री संबंधी पूर्ण सूचना को भारित औसत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा गया है।

55. उपर्युक्त पद्धतियों से निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमतों के आधार पर प्रत्येक आकार के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया एवं तत्पश्चात् प्रत्येक निर्यातक अथवा संयोजन के लिए भारित औसत का निर्धारण निम्नानुसार किया गया :-

उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन
		भारित औसत सामान्य मूल्य पर विचार करते हुए
फोशान बेलीफेन बिल्डिंग मैटीरियल कंपनी लि. (पूर्व में आई फोशान एनजैडवाई सिरमिक्स के रूप में ज्ञात)	फोशान लुंगो सिरमिक्स	***
	सैंडबो	***
	एनजैडवाई एम्पोर्ट एक्सपोर्ट	***
	जिन्नान यूई	***
	जिनयूई	***
सिचुआन एनजैडवाई	सिचुआन एनजैडवाई	***
एनजैडवाई हेतु भारित औसत		-6.90%
गुआंगडोंग विटो सिरमिक कंपनी	गुआंगडोंग विटो सिरमिक कंपनी	-5.16%
फोशान शेनशुई न्यू पर्ल सिरमिक्स बिल्डिंग कं.लि.	फोशान न्यू पर्ल ट्रेड कंपनी लि. क	***
फोशान शेनशुई समिट सिरमिक्स कं.लि.	फोशान न्यू पर्ल ट्रेड कंपनी लि.	***
न्यू पर्ल ग्रुप हेतु भारित औसत		-6.88%
चीन जन.गण. के अन्य उत्पादक	चीन जन.गण. के अन्य निर्यातक	119.35%

अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित उपर्युक्त पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक हैं।

छ. क्षति निर्धारण एवं कारणात्मक संबंध की जांच हेतु पद्धति

छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं :-

56. चीन से आयातों में लगभग तीन गुने की अत्यधिक वृद्धि हुई है। अर्थात् आधार वर्ष में 20.46 लाख वर्ग मीटर से जांच अवधि में 56.18 लाख वर्ग मीटर। चीन से जांच अवधि के दौरान आयातों में हुई वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष 2006-07 की तुलना में अत्यधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा बड़े पैमाने पर पाटन के कारण चीन से हुए आयातों ने बाजार हिस्से के एक उल्लेखनीय हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है।

57. इसके अलावा, भारत में कुल मांग की तुलना में चीन से हुए आयात अप्रैल, 04-मार्च, 05 के दौरान 32% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 52% हो गए। जांच अवधि के दौरान कुल मांग में आयातों के हिस्से में हुई वृद्धि भी इसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अत्यधिक थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि संबद्ध वस्तुओं के बड़े पैमाने पर पाटन के कारण चीन से हुए आयातों ने घरेलू बाजार में मांग के एक उल्लेखनीय हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है।

58. घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में चीन से हुए आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई और यह अप्रैल, 04-मार्च, 05 में 48% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 114% हो गई। क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन के % के रूप में आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई जो लगभग 2.5 गुना थी। यह एक स्पष्ट सूचक है कि चीन से हुए पाटित आयातों ने बाजार में हुई वृद्धि पर सीधे कब्जा कर लिया है।

59. यह निवेदन किया गया है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान चीन के पहुंच मूल्य में वृद्धि हुई है। तथापि, यह घरेलू बिक्री कीमत से अभी भी कम है, जिसके कारण उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है। चीन की कम आयात कीमतों ने घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतें कम रखने के लिए विवश कर दिया है अतः घरेलू कीमत में कीमत ह्रास हुआ है। यह भी निवेदन किया गया है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, चीन से हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक दिया और इनमें मंदी छाई रही। इस प्रकार चीन से हुए आयातों ने न केवल घरेलू कीमतों में ह्रास किया अपितु घरेलू कीमतों को मंदा भी कर दिया।

60. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई और यह अप्रैल, 04-मार्च, 05 में 66% से घटकर जांच अवधि के दौरान 44% रह गया। क्षति की जांच अवधि के दौरान देश में मांग में 72% की वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय गिरावट आई। यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आई भारी गिरावट चीन से संबद्ध वस्तुओं के अत्यधिक पाटन के कारण हुई है।

61. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता का ब्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं है। क्षमता उपयोग का विश्लेषण करते समय संबद्ध वस्तुओं सहित सभी उत्पादों के उत्पादन पर विचार किया गया है। इसके अलावा, एक आवेदक अर्थात् मैसर्स कजरिया सिरेमिक्स लि. ने संबद्ध

वस्तुओं का उत्पादन जांच की अवधि के दौरान ही शुरू किया था। अतः वर्तमान मामले में क्षमता उपयोग के विश्लेषण से पाटित आयातों के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं चलता।

62. आधार वर्ष, 2004-05 की तुलना में जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई। इस प्रकार यह इंगित करता है कि उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

63. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, बढ़ते बाजार में जहां कुल मांग में लगभग 72% की वृद्धि हुई है, क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगभग 22% की गिरावट आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाजार में हुई वृद्धि पर चीन के पाटित आयातों ने सीधे कब्जा कर लिया है। अतः जहां तक बिक्री की मात्रा और बाजार हिस्से का संबंध है, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।

64. क्षति की जांच अवधि के दौरान आवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारियों की संख्या में कमी आई जबकि क्षति की जांच अवधि के दौरान उन्हें संदत्त मजदूरी में वृद्धि हुई।

65. चीन से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर सका और इनमें क्षति की जांच अवधि के दौरान कमी आई जिससे लाभप्रदता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई। क्षति की जांच अवधि के दौरान घाटे में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की स्थिति और भी बदतर हो गई। यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिकारी पाटन काफी समय से किया जा रहा था, घरेलू उद्योग ने माननीय प्राधिकारी से इस आशा से संपर्क नहीं किया था कि चीन की कीमतों में सुधार होगा और घरेलू उद्योग की स्थिति भी सुधरेगी। परंतु आशा के विपरीत चीन की कीमतों में हुई मामूली वृद्धि बढ़ती लागतों के अनुरूप नहीं है। जहां तक घरेलू उद्योग का संबंध है, लागत बढ़ जाने के बावजूद कीमतें वास्तव में कम हो गई हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में और भी गिरावट आई है।

66. यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी से आय (आरओसीडी) जो आधार वर्ष 2004-05 में सकारात्मक थी, जांच अवधि के दौरान नकारात्मक हो गई। इसका मुख्य कारण चीन द्वारा व्यापक पैमाने पर पाटन के कारण कंपनी की लाभप्रदता में गिरावट आना है।

67. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है क्योंकि क्षति की जांच अवधि के दौरान स्टॉक का स्तर बढ़ गया है।

68. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति और भी बढ़ गई है क्योंकि न केवल संबद्ध वस्तुएं कम कीमत पर बेची जा रही हैं, अपितु संबद्ध देश के निर्यातक भी उल्लेखनीय कीमत कटौती में लिप्त हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि कीमत कटौती अत्यधिक

हुई है। अतः घरेलू उद्योग पर अपनी कीमतें कम करने का दबाव निरंतर बना हुआ है। यह भी निवेदन किया गया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पहुंच मूल्य, संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से घरेलू उद्योग को जितनी कीमत प्राप्त होनी चाहिए थी, उससे बहुत कम है।

69. यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता के नकद प्रवाह की स्थिति में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान इसमें *** % की गिरावट आई है।

70. यह निवेदन किया गया है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान देश में मांग में 72% की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 32% की भारी गिरावट आई। जहां तक लाभप्रदता, नकद प्रवाह और नियोजित पूंजी से आय का संबंध है, इनकी वृद्धि भी अत्यंत नकारात्मक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीन के निर्यातकों ने पाटित कीमतों पर बिक्री के माध्यम से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के एक उल्लेखनीय हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है, जो आयातों में हुई वृद्धि से भी स्पष्ट है।

71. चीन से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र में भावी निवेश प्रभावित हुआ है। नकारात्मक लाभप्रदता, नकारात्मक नकद प्रवाह और नकारात्मक आय से स्पष्ट है कि पाटित आयातों के कारण इस क्षेत्र में घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ा है।

72. इस तथ्य के अलावा, कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है, यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा भी आसन्न है।

73. आधार वर्ष तथा उसकी पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित होती है। आयात अप्रैल, 2004-मार्च, 2005 में 20.46 लाख वर्ग मी. से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 56.18 लाख वर्ग मी. हो गए।

74. संबद्ध देश से आयात अत्यंत कम कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग समुचित लाभ अर्जित करने की स्थिति में नहीं है। चीन द्वारा वर्तमान कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अत्यंत नकारात्मक हो गई है। यदि यही प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है तो इससे न केवल आगे घरेलू उद्योग को घाटा होगा अपितु घरेलू उद्योग के लिए प्रचालन करना और जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। अतः चीन से वर्तमान पाटन पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई करना घरेलू उद्योग के हित में होगा।

75. घरेलू उद्योग को यह भी ज्ञात हुआ है कि चीन में निपटान योग्य विशाल क्षमता और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मौजूद है जिनके कारण इन वस्तुओं की भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है, यदि पाटनरोधी शुल्क तुरंत लागू नहीं किए जाते।

76. यह भी बताया गया है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूचियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए तुरंत उपाय न किए जाएं तो इसमें और भी वृद्धि होगी।

कारणात्मक संबंध के बारे में निवेदन किया गया है कि:-

77. जांच अवधि के दौरान चीन के अलावा अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात न्यूनतम से कम हैं। केवल चीन से किए गए आयात पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं और न्यूनतम से अधिक सीमा में हैं जिनके कारण याचिकाकर्ताओं को वास्तविक क्षति हुई है। यह भी निवेदन किया गया है कि यूरोपीय संघ से हुए आयात भी न्यूनतम से अधिक सीमा में हैं। तथापि, उनकी कीमतें चीन की कीमतों तथा वर्तमान घरेलू कीमतों एवं वांछित बिक्री कीमतों से काफी अधिक हैं। अतः इनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

78. क्षति की जांच अवधि के दौरान देश में मांग में 72% की वृद्धि हुई। अतः जांच अवधि के दौरान मांग में कोई कमी नहीं आई और मांग में कमी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारक नहीं है।

79. संबद्ध वस्तुओं के लिए एक ही बाजार है जहां पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपूर्तिकर्ता की पसंद कीमत द्वारा निर्धारित होती है। पाटित वस्तुएं स्वदेशी उत्पादकों के उत्पाद को प्रतिस्थापित कर रही हैं। घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की तरह पाटित उत्पाद भी उन्हीं वाणिज्यिक ग्रेडों, मानकों एवं विनिर्देशनों के अनुसार बेचा जाता है। आयातित वस्तुएं एवं घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तुएं समान वस्तुएं हैं और इनका प्रयोग समान अनुप्रयोगों/अंतिम उपयोग हेतु किया जाता है। इस प्रकार आयातित स्रोत अथवा घरेलू स्रोतों से इस वस्तु की खरीद में कीमत निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। जहां तक संबद्ध उत्पादों का संबंध है, घरेलू उद्योग उचित बिक्री कीमत/लाभ प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। इसका प्रत्यक्ष कारण चीन से कम कीमत पर आयात होना है क्योंकि घरेलू उद्योग से अपनी कीमतें संबद्ध देश के आयातकों द्वारा प्रस्तुत कीमतों के अनुसार रखने की सदैव अपेक्षा की जाती है। कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां अथवा प्रौद्योगिकी संबंधी कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं, जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जाए। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, अतः घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति पर कोई क्षतिकारी प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां तक विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग को केवल चीन से पाटित आयातों के कारण अनुचित व्यापार की वजह से क्षति का सामना करना पड़ रहा है। यदि आयात उचित सामान्य कीमतों पर किए जाते हैं तो घरेलू उद्योग आयातों के कारण प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में होगा। क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोई निर्यात नहीं किया गया। अतः निर्यातों से संबंधित प्रश्न लागू नहीं होते।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

छ.3 द कर्नाटक मार्बल एंड ग्रेनाइट एसोसिएशन द्वारा किए गए निवेदन

80. भारत और चीन के बीच व्यापार एशिया प्रशांत व्यापार करार द्वारा शासित है जिसमें सीमाशुल्क की घटती दर का उल्लेख किया गया है ।

81. संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उत्पादकों की वस्तुओं के संबंध में आवेदक की टाइलों की बिक्री कीमतों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक अपने उत्पादों की बिक्री अन्य उत्पादकों की तुलना में अधिक कीमत पर करते हैं, जो 15-17 रूपए प्रति वर्ग फुट है । ऐसी बढ़ी हुई दरों पर बिक्री करने का कारण उद्योग के अन्य सदस्यों को ज्ञात नहीं है ।

82. यह निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग अपने आप को मांग में वृद्धि के अनुरूप नहीं रख सका है । यह स्पष्ट है कि वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान मांग में 60% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में केवल लगभग 17% की वृद्धि हुई ।

83. आवेदकों ने अपनी उत्पादन क्षमता के विस्तार में उल्लेखनीय राशि का निवेश किया है । यदि निवेश और उनकी उत्पादन क्षमता में विस्तार के बावजूद आवेदक उत्पादन में वृद्धि करने में समर्थ नहीं है तो त्रुटि विभिन्न देशों से उचित कीमतों पर हुए आयातों में नहीं, बल्कि त्रुटि स्वयं आवेदकों में है ।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

84. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में क्षति के निर्धारण हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

"क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और ; (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी ।"

85. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमत, पाटन मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रभाव,

मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

86. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की जांच की है और नोट किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित मानदंडों का विश्लेषण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया है और इनका सत्यापन/पुनः जांच घरेलू उद्योग के रिकॉर्ड से की गई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :-

पाटित आयातों की मात्रा और बाजार हिस्सा

87. इसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। संबद्ध देश तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :-

छ.5 संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा (कुल आयातों का %)

88. जांच अवधि के दौरान कुल आयातों में चीन से आयातों का हिस्सा 87% है। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान चीन से हुए आयात आधार वर्ष में 15.76 लाख वर्ग मी. से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 29.36 लाख वर्ग मी. हो गए।

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
संबद्ध देशों से आयात (वर्ग मी.)	1576648	1696612	2408784	2936125
कुल आयात (वर्ग मी.)	1949098	1932083	2765639	3382305
% हिस्सा	81%	88%	87%	87%

छ.6 संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा (कुल मांग का %)

89. इसके अलावा भारत में कुल मांग की तुलना में चीन से हुए आयात अप्रैल, 04-मार्च, 05 के दौरान 26% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 36% हो गए।

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
संबद्ध देशों से आयात (वर्ग मी.)	1576648	1696612	2408784	2936125
कुल आयात (वर्ग मी.)	6087707	6106192	7102276	8193071
% हिस्सा	25.90%	27.79%	33.92%	35.84%

छ.7 घरेलू उत्पादन के % के रूप में संबद्ध देशों से आयात

90. घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में चीन से आयात अप्रैल, 04-मार्च, 05 में 37% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 60% हो गए ।

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
संबद्ध देशों से आयात (वर्ग मी.)	1576648	1696612	2408784	2936125
उत्पादन (एसक्यूएम)	4272465	4436570	4635414	4914728
% हिस्सा	36.90%	38.24%	51.96%	59.74%

91. उपर्यक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन से आयातों में न केवल निरपेक्ष रूप में वृद्धि हुई है बल्कि कुल आयातों, कुल मांग और घरेलू उत्पादन के सापेक्ष भी इनमें वृद्धि हुई है ।

छ.8 भारतीय उत्पादकों द्वारा धारित बाजार हिस्से में परिवर्तन

92. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अप्रैल, 04-मार्च, 05 में 68% से घटकर जांच की अवधि के दौरान 59% रह गया । यह नोट किया गया है कि देश में मांग में क्षति की जांच अवधि की तुलना में 35% की वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
घरेलू उद्योग बिक्रिया (वर्ग मीटर)	4138608	4174109	4336637	4810765
कुल मांग (वर्ग मीटर)	6087707	6106192	7102276	8193071
प्रवृत्ति	100	100	117	135
घरेलू उद्योग हिस्सा	67.98%	68.36%	61.06%	58.72%
प्रवृत्ति	100	101	90	86

छ.9 क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

93. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :-

94. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं की क्षमता अलग से उपलब्ध नहीं है, अतः क्षमता उपयोग का विश्लेषण संबद्ध वस्तुओं सहित सभी उत्पादों के उत्पादन पर विचार करके किया गया है । घरेलू उद्योग की क्षमता में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान

28% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान इसी सुविधा से उत्पादित सभी वस्तुओं के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई है। तथापि, क्षमता उपयोग आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घटकर 67% रह गया है। यह भी नोट किया गया है कि एक उत्पादक मै. कजरिया सिरेमिक्स लि. ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन जांच अवधि के दौरान ही शुरू किया है। अतः वर्तमान मामले में क्षमता उपयोग के मूल्यांकन को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का सही सूचक नहीं माना जा सकता।

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
क्षमता (वर्ग मी.)	30373500	30373500	38773500	38773500
सूचीबद्ध	100	100	128	128
उत्पादन (वर्ग मी.)	20723132	22764196	27827858	25835051
सूचीबद्ध	100	110	134	125
क्षमता उपयोग %	68%	75%	72%	67%
उत्पादन-विचाराधीन उत्पाद (वर्ग मी.)	4272465	4436570	4635414	4914728
सूचीबद्ध	100	104	108	115

छ.10 बिक्री

95. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में 16% की वृद्धि हुई है। तथापि बढ़ते बाजार में, जहां कुल मांग में लगभग 35% की वृद्धि हुई है, क्षति की जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 69% से घटकर लगभग 58% रह गया, जो यह इंगित करता है कि बाजार में हुई वृद्धि पर चीन जन.गण. के पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया है।

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
बिक्री (वर्ग मी.)	4138608	4174109	4336637	4810765
प्रवृत्ति	100	101	105	116
बिक्री मूल्य (लाख रुपए)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	97	98	112

96. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, लाभ तथा नकद प्रवाह का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

छ.11 लाभप्रदता तथा नकद प्रवाह

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
निवल बिक्री कीमत (लाख रुपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	97	98	112

निवल बिक्री कीमत (रु. / वर्ग मी.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	96	94	96
बिक्री की लागत (लाख रुपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	106	99	118
बिक्री की लागत (रु. / वर्ग मी.))	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	105	95	102
लाभ/हानि (लाख रुपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	-100	-328	-126	-275
लाभ/हानि (रु. / वर्ग मी.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	-100	-326	-120	-237
व्याज पूर्व लाभ	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	-112	42	-36
मूल्यहास (लाख रुपए)	***	***	***	***
नकद प्रवाह (मूल्य हास से पूर्व लाभ)	***	***	***	***
लाख रुपए	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	-39	77	-31

97. घरेलू उद्योग के आंकड़े दर्शाते हैं कि बिक्री की प्रति वर्ग मीटर लागत आधार वर्ष में 100 (सूचीबद्ध) की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़कर 102 हो गई है। मूल्य के रूप में बिक्री की लागत में 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री से निवल प्राप्ति आधार वर्ष में 100 (सूचीबद्ध) की तुलना में जांच अवधि के दौरान घटकर 96 रह गई। मूल्य के रूप में बिक्री कीमत में 15/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की गिरावट आई। प्रति मीटर घाटा आधार वर्ष में -100 (सूचीबद्ध) से बढ़कर जांच अवधि में -275 हो गया।

98. आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षति की समस्त अवधि के दौरान घाटा लगातार होता रहा। आधार वर्ष के दौरान सकारात्मक पीबीआईटी जो 100 (सूचीबद्ध) था जांच अवधि के दौरान नकारात्मक 36 हो गया।

छ.12 नकद प्रवाह

99. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति का मूल्यांकन किया है, जो दर्शाता है कि नकद लाभ में आधार वर्ष से जांच अवधि तक गिरावट आई। सूचीबद्ध रूप में यह आधार वर्ष में 100 से घटकर जांच अवधि में 31 रह गया।

छ.13 घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

100. क्षति अवधि के दौरान मूल सीमाशुल्क वर्ष 2004-05 में 6.45% (बैंकॉक करार के अंतर्गत) से घटकर जांच अवधि के दौरान 4.30% कर दिया गया था। बिक्री की लागत में 2004-05 के आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 5/-रुपए प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि हुई। हालांकि संबद्ध देश से पहुंच मूल्य में वृद्धि निरंतर होती रही, परंतु क्षति अवधि के

दौरान कीमत कटौती भी लगातार जारी रही। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कीमत कटौती उल्लेखनीय थी।

छ.14 कीमत कटौती

101. संबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर हुए प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत हास तक, कीमत अवमूल्यन, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) तथा क्षति रहित कीमत (एनआईपी) (जिसका आकलन घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त लागत सूचना के आधार पर किया गया) की तुलना में संबद्ध देश से हुए आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है।

102. जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के संदर्भ में पाटित आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग द्वारा संदत्त करें तथा प्रदत्त रिबेट, छूट एवं कमीशन का समायोजन किया गया।

103. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण कीमत कटौती समस्त क्षति अवधि के दौरान जारी रही। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से कीमत कटौती 25-35% के बीच रही।

104. यह भी नोट किया गया है कि क्षति की जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान बिक्री कीमत में गिरावट आई जो इस बात का द्योतक है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी छाई रही।

कीमत कटौती

संबद्ध देश

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	जांच अवधि
पहुंच मूल्य प्रति मी.ट.	***	***	***	***
घरेलू बिक्री कीमत	***	***	***	***
कीमत कटौती	***	***	***	***
कीमत कटौती का %	***	***	***	***

छ.15 कम कीमत पर बिक्री

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। कम कीमत पर बिक्री की सीमा ज्ञात करने के उद्देश्य से क्षति रहित कीमत की गणना की गई और इसकी तुलना संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से की गई। घरेलू उद्योग हेतु क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन करते समय जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की

उत्पादन लागत पर समुचित विचार किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य अवधि के दौरान घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित क्षति रहित कीमत से बहुत कम थे। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की कम कीमत पर की गई बिक्री की मार्जिन 40-50% के बीच थी।

कम कीमत पर बिक्री

	जांच अवधि
क्षति रहित कीमत	***
पहुंच कीमत/मी.टन	***
कम कीमत पर बिक्री	***
कम कीमत पर बिक्री का %	***

छ.16 नियोजित पूंजी से आय

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
नियोजित पूंजी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	97	85	76
ब्याज पूर्व लाभ	***	***	***	***
नियोजित पूंजी से आय (%)	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	-116	49	-47

106. नियोजित पूंजी निवल अचल परिसंपत्तियों एवं कार्यशील पूंजी का योग होती है। विचाराधीन उत्पाद के लिए निवल अचल परिसंपत्तियों का आवंटन विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन अनुपात में किया गया है। कार्यशील पूंजी का आवंटन विचाराधीन उत्पाद के बिक्री अनुपात में किया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कार्यशील पूंजी में कमी के कारण नियोजित पूंजी में गिरावट आई, जो आधार वर्ष में 100 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घटकर 76 रह गई। नियोजित पूंजी से आय में आधार वर्ष से जांच अवधि तक गिरावट आई।

छ.17 रोजगार एवं मजदूरी

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	89	81	70
कुल मजदूरी (लाख रुपए)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	121	120	197

107. आंकड़े दर्शाते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में 67% की गिरावट आई। तथापि इसी अवधि के दौरान कर्मचारियों को संदत्त मजदूरी में 97% की वृद्धि हुई।

छ.18 उत्पादकता

108. प्रति कर्मचारी उत्पादन के रूप में यथा प्रदर्शित, घरेलू उद्योग की उत्पादकता निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है ।

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
उत्पादन (वर्ग मीटर)	***	***	***	***
कर्मचारी	***	***	***	***
उत्पादन/कर्मचारी	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	111	112	132

109. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता अर्थात् प्रति कर्मचारी उत्पादन में 32% की वृद्धि हुई ।

छ.19 वृद्धि

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मांग में वृद्धि (%)		0	16	15
आवेदकों की बिक्री में वृद्धि (पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में) (%)		1	4	11
पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि(%)		1	-11	-4
पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में लाभप्रदता (%)		-228	62	-118
नकद प्रवाह		-139	-297	-141
नियोजित पूंजी से आय (%)		-216	-142	-195

110. क्षति की जांच अवधि के दौरान देश में मांग में वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की बिक्री में भी बढ़ोत्तरी हुई, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट का रुख देखा गया है । लाभप्रदता, नकद प्रवाह और नियोजित पूंजी से आय के संदर्भ में वृद्धि अत्यंत नकारात्मक है ।

	अप्रैल 04- मार्च 05	अप्रैल 05- मार्च 06	अप्रैल 06- मार्च 07	जांच अवधि
अंतिम स्टॉक (वर्ग मीटर)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	149	204	223

111. घरेलू उद्योग की अंतिम मालसूचियों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है जो जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की बिक्री में घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही कठिनाइयों की द्योतक है ।

छ.20 पूंजी/निवेश जुटाने की क्षमता

112. यह निवेदन किया गया है कि जांच अवधि के दौरान कम आय के मद्देनजर क्षमता के और विस्तार हेतु घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता व्यावहारिक नहीं है । तथापि इस संबंध में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के घटकों में से एक ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु क्षमता वर्धन किया है ।

छ.21 निष्कर्ष

113. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वस्तुओं के उत्पादन में 25% (642263 वर्ग मीटर) की वृद्धि हुई है । मांग में 35% (2105364 वर्ग मीटर) की वृद्धि के मुकाबले बिक्री में भी 16% (672157 वर्ग मीटर) की वृद्धि हुई है । इस अवधि के दौरान मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा 67.89% से घटकर जांच अवधि के दौरान 58.72% रह गया । संबद्ध देशों का हिस्सा 26% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 36% हो गया, परंतु अन्य देशों से निर्यात 6% से घटकर 5% हो गए । ये आंकड़े संकेत करते हैं कि घरेलू उद्योग उत्पादन व बिक्री बढ़ाने में समर्थ रहा परंतु मांग में अपने हिस्से में गिरावट के कारण मांग में हुई वृद्धि का लाभ नहीं उठा सका ।

114. बिक्री की लागत आधार वर्ष में 100 (सूचीबद्ध) से बढ़कर जांच अवधि में 102 हो गई अर्थात् 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि हुई परंतु बिक्री कीमत घटकर 96 (सूचीबद्ध) रह गई अर्थात् इसमें 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की गिरावट आई । आधार वर्ष में घरेलू उद्योग घाटे (प्रति यूनिट) में था और क्षति अवधि के दौरान भी घाटा जारी रहा । प्रति यूनिट घाटा आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 237 हो गया । तथापि, पीबीआईटी, जो आधार वर्ष में सकारात्मक था, जांच अवधि में नकारात्मक हो गया । नियोजित पूंजी से आय भी, जो आधार वर्ष में सकारात्मक थी, जांच अवधि में नकारात्मक हो गई ।

छ.21 कारणात्मक संबंध एवं अन्य कारक

क. पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा व कीमतें

115. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान स्पेन को छोड़कर चीन से इतर स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात न्यूनतम से कम थे । यह भी नोट किया गया है कि स्पेन से आयात अपेक्षाकृत अधिक कीमतों पर हुए, अतः अन्य देशों से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है ।

ख. व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियाँ एवं विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

116. घरेलू उद्योग अथवा अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा अपनाई गई कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति प्राधिकारी के ध्यान में नहीं आई।

ग. मांग में संकुचन अथवा खपत के तरीके में परिवर्तन

117. यह नोट किया गया है कि विधाराधीन अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इसके विपरीत क्षति अवधि के दौरान मांग में 35% की समग्र वृद्धि हुई है। अतः मांग में संभावित संकुचन वह कारक नहीं है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। हितबद्ध पक्षकारों ने खपत के तरीके में परिवर्तन के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है और न ही जांच में खपत के तरीके में कोई संभावित परिवर्तन देखा गया है।

घ. घरेलू उद्योग का प्रौद्योगिकीय विकास, निर्यात निष्पादन एवं उत्पादकता

118. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई मद्दा नहीं उठाया है कि इन कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अलावा जांच से भी यह ज्ञात नहीं हुआ है कि संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन प्रौद्योगिकी में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कोई निर्यात कार्यक्रम निष्पादित नहीं किया।

छ.22 कारणात्मक संबंध

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है। तथापि संबद्ध देश से कीमत कटौती में आधार वर्ष से जांच अवधि तक गिरावट आई थी, परंतु यह अभी भी अत्यधिक है। यह भी नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की प्रत्येक घरेलू बिक्री कीमत में 15/- रुपए प्रति वर्ग मी. की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में बिक्री की लागत में 5/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का घाटा बढ़ा है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि देखी गई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें 35% की वृद्धि हुई। मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 68% से घटकर 59% रह गया जबकि इसी अवधि में संबद्ध देश का हिस्सा 26% से बढ़कर 36% हो गया, जो इंगित करता है कि वृद्धि से हुए फायदे पर संबद्ध देश ने कब्जा कर लिया।

120. यह भी नोट किया गया है कि मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए क्षमता उपलब्ध है, परंतु मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता का उपयोग आवश्यकता से कम हुआ। प्राधिकारी ने संबद्ध देश के आयातों द्वारा कीमत कटौती के सिवाय और कोई कारण नहीं

पाया जिसने बिक्री कीमत, घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट और संबद्ध देश के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि को प्रभावित किया हो । उपर्युक्त विश्लेषण संबद्ध देशों से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करता है ।

ज. निष्कर्ष

121. उपर्युक्त पर विचार करने के उपरांत प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं को भारत को निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है;

ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

ग. क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है ।

झ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; अतः ग्राहकों के लिए उन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

ञ. सिफारिशें

123. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निम्नलिखित रूप एवं तरीके से पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं ।

124. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन की कमतर मार्जिन और क्षति की मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति दूर हो सके । तदनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 9 में इंगित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क इस अधिसूचना की तारीख से लगाने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	टैरिफ नं.	वस्तुओं का विवरण	निर्देशन	उद्गम देश	निर्यात देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	6908 9090	विद्रीफाइड टाइलों से इतर सिरमिक ग्लेज्ड टाइलों	सिरमिक ग्लेज्ड टाइलों, जिनकी कम से कम एक साइड (लंबाई अथवा चौड़ाई) 17 इंच/431.80 मिलीमीटर (मिमी.)/43.18 सेन्टीमीटर (सेमी.)/1.416 7 फुट से अधिक हो	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	फोशान बैलिकेंग बिल्डिंग मेटिरियल्स कंपनी लि. (जिसे औपचारिक रूप से फोशान न्यू जोंग युआन सरेमिक कं. लि के नाम से जाना जाता है.)	फोशान लुंगो सिरमिक कंपनी लि. फोशान सेंडबो सिरमिक कंपनी लि. न्यू जोंग युआन सिरमिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि. ऑफ गुआंगडोंग फोशान जिनयू बिल्डिंग सिरमिक कंपनी लि. फोशान जिनयू बिल्डिंग सिरमिक कंपनी लि.	शून्य	वर्ग मी.	रुपए
2	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	सिचुआन न्यू जोंग युआन सिरमिक्स कंपनी लि.	सिचुआन न्यू जोंग युआन सिरमिक्स कंपनी लि.	शून्य	वर्ग मी.	रुपए
3	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	गुआंगडोंग विन्टो सिरमिक कंपनी	गुआंगडोंग विन्टो सिरमिक कंपनी	शून्य	वर्ग मी.	रुपए
4	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	फोशान शुनशुई न्यूपल बिल्डिंग सिरमिक्स इंडस्ट्रियल कं.लि. अथवा फोशान शुनशुई सुमित सरेमिक्स कं. लि.	फोशान न्यूपल ट्रेड कंपनी लि.	शून्य	वर्ग मी.	रुपए
5	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 4 को छोड़कर अन्य कोई संयोजन		137/-	वर्ग मी.	रुपए
6	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. को छोड़कर अन्य कोई	कोई	कोई	137/-	वर्ग मी.	रुपए
7	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	चीन जन.गण. को छोड़कर अन्य कोई	चीन जन.गण.	कोई	कोई	137/-	वर्ग मी.	रुपए

125. उपर्युक्त के अध्यक्षीन प्राधिकारी 22 अप्रैल, 2009 के प्रारम्भिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं, तथापि, उपर्युक्त पैरा 124 में सिफारिश किया गया शुल्क सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (2) के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तारीख से लागू होगा।

126. केन्द्र सरकार द्वारा जन जांच परिणामों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद इनके विरुद्ध कोई भी अपील 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ नियम, 1995 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2009

Final Findings

Subject: Anti-Dumping Investigation concerning imports of Ceramic Tiles originating in or exported from China PR.

F.No. 14/16/2008-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995(hereinafter referred to as Act.) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995(hereinafter referred to as Rules), thereof:

A. BACKGROUND AND PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - I. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received an application filed by M/s H & R Johnson (India) Ltd. & M/s Kajaria Ceramics Ltd., on behalf of the domestic industry, alleging dumping Ceramic Glazed tiles other than vitrified tiles where at least one of the sides (length or width) exceeds 17 inches/431.80 Millimeters (MM)/43.18 Centimeters (CM)/1.4167 feet. (hereinafter refer to as subject goods) originating in or exported from CHINA PR, (hereinafter referred to as subject country).
 - II. The Authority on the basis of evidence submitted by the applicant found it appropriate to initiate the investigation concerning imports of subject goods originating in/or exported from CHINA PR. The authority notified the Embassy of subject country in New Delhi about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules.
 - III. The Authority issued a public notice dated 17.10.08 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods classified under Chapter 69 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from subject country.

- IV. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known exporters (whose names and addresses were available with the authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2).
- V. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose names and addresses were available with the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).
- VI. Request was made to Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata to arrange details of imports of subject goods made in India for the period of investigation and preceding three years. The transaction-wise data on imports received from DGCI&S have been relied upon in the findings.
- VII. The Authority provided copies of the non confidential version of the application to the known exporters and the Embassy of subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- VIII. The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the known exporters/producers, in accordance with the Rule 6(4).
- IX. Following interested parties have responded to initiation notification and provided information:
- a) Topbro Ceramics Co., Ltd (producer) & A Foshan Junjing Industrial Co., Ltd (Exporter)
 - b) Guangdong Winto Ceramic Co., Ltd (producer and exporter)
 - c) LOUIS VALENTINO (INNER MONGOLIA) CERAMIC CO. LTD (Producer) and Foshan HCC Building Material Co., Ltd. (Exporter)
 - d) Foshan Shunshui Summit Ceramic Co Limited and Shunshui Newpearl Building (Producers)-Foshan Newpearl Trade Company Limited and Foshan Summit Kangjian Ceramics Co. Limited (Exporters)
 - e) Sichuan New ZhongYuan Ceramics Co., Ltd (producer and exporter), Foshan New Zhong Yuan Ceramic Company Limited. (Producer), Foshan City Sandebo Ceramics Co Limited (Exporter), Foshan Lungo Ceramics Co Limited (Exporter), New Zhong Yuan Import & Export Company Limited of Guangdong (Exporter), Foshan Xin Yue Ceramic Co Limited (Exporter), Company name: Foshan Xin Nan Yue Building Ceramics Co Limited (Exporter)
 - f) R. A. K. (GAO YAO) CERAMICS CO. LTD. (Exporter)
 - g) Kingkong Building Material Co. Ltd
 - h) Foshan Fotiles Ceramics Co Ltd. (Exporter)
 - i) Guangdong Ouya Ceramic Co. Ltd
 - j) M/s Gaoyao Tegaote Ceramics Co. Ltd, manufacturer and related exporter M/s Foshan Everlasting Co. Ltd. (exporter), China

k) Ratnagiri Ceramics Private Limited, (Importer)

l) The Kamataka Marble and Granite Association

- X. Other exporters, producers, importers and other interested parties who have not supplied information in this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.
- XI. A Market Economy Treatment (MET) questionnaire was forwarded to all the known exporters and Embassy of China PR. While for the purpose of initiation the normal value in China PR was considered based on the constructed cost of production of the subject goods in China PR, the Authority informed known exporters that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of para 7 and para 8 of Annexure I of Anti Dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to enable the Authority to consider whether market economy treatment be granted to cooperative exporters/producers.
- XII. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority as per Rule 6(7) and kept open for inspection by the interested parties.
- XIII. Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- XIV. After preliminary findings, all interested parties were asked to file their comments on preliminary findings.
- XV. The Authority held a public hearing on 7.07.09 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of interested parties. The interested parties were asked to file written submissions and rejoinder. The written submissions and rejoinders received from interested parties to the extent considered relevant have been considered in the findings;
- XVI. On the spot verification of the data of those exporters, who filed their submission before the preliminary findings and had rectified the deficiencies, were carried out to the extent necessary.
- XVII. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for the findings have been disclosed to known interested parties and comments received on the same have been considered in Final Findings.

- xviii) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xix) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2007 to 31st March 2008 (12 months) i.e. the period of investigation (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from April, 2004-March, 05, April, 2005-March, 2006, April, 2006-March, 2007 and the POI.

B. Product under consideration and like Article

3. The product under consideration for the investigation is Ceramic Glazed tiles other than vitrified tiles where at least one of the sides (length or width) exceeds 17 inches/431.80 Millimeters (MM)/43.18 Centimeters (CM)/1.4167 feet. These goods are used as covering for walls and floors in the buildings. The product is classified under Custom Tariff heading 6908 9090.
4. It has been submitted by the domestic industry that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. Hence, the goods produced by the domestic industry are 'Like Article' to dumped goods from subject country. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti Dumping Rules.
5. It has been submitted by The Karnataka Marble and Granite Association that:-
- (i) The products of the applicant and that of the other members of the domestic industry and also those imported from China PR are similar in material respects so as to become 'Like Article' is subject to empirical determination it has been stated that there are no differences in the technical specifications, quality, functions or end uses of the above mentioned goods. However, the same is not substantiated by any empirical data for exercise undertaken to prove likeness. The Association in the meantime has approached Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute, Bangalore (MSMEDI) working under the Government of India to test samples from the Applicants' products as well as those of the other members of the domestic industry and also those imported from China PR. The said reports are awaited. These reports will be crucial in the determination of "Like Article" as some specifications which are otherwise considered immaterial vary the prices of the tiles to a great extent. The authority has noted that no such report was submitted by the Association. Subsequently, however a photocopy of the book called "Industrial Ceramics" by Felix Singer and Sonja S. Singer was submitted.
- (ii) It has also been submitted that on closer scrutiny and comparison of the imported tiles and the domestically manufactured tiles being sold in India it will be found that the standard of imported tiles is much lower than that of the

- domestically manufactured tiles. It has been submitted that the two cannot, by any stretch of imagination, be considered to be 'Like Article' at all.
- (iii) The Association has been able to collect certain details and data in respect of recent imports of tiles from China, which unequivocally show that the sale of imported tiles is taking place at a higher price what the Applicants contend.
 - (iv) On a perusal of the sale prices of the Applicants' tiles in respect of the subject goods and those of other domestic producers, it will be evident that the Applicants sell their products at a price higher by Rs.15-Rs.17 per square foot from such other domestic producers.
6. The authority has examined the issue in details and noted that 'Like Article' does not mean identical article. The domestically produced goods is treated to be 'Like Article' if same can be commercially or technically substituted by subject goods. In this case the subject goods is a directly substituting and competing with the domestic produced goods. It has also been noted that there may be differences in prices on account of sizes or variety etc. However, such variations would not prevent from treating domestically produced goods as 'Like Article' as same is substitutable by imports of subject goods. The Authority, therefore, treated the goods produced by the domestic industry as 'Like Article' to the subject goods from the subject country.
7. After the preliminary findings, the Association again pointed out that certain tiles (non-PUC) can substitute the PUC, therefore, those can be treated as like article. The Association was asked to substantiate their claim, however, no reply has been received or any document has been submitted. The Authority therefore did not find any reason to interfere in the decision already taken in the preceding paragraph.

C. Standing of the applicants and Domestic industry

8. Authority notes that the application has been filed M/s H & R Johnson (India) Ltd. & M/s Kajaria Ceramics Ltd., These producers account for 100% of the Indian production.
9. It has been represented by Karnataka Marble association that there are two specifications of tiles which would fall in the category of 'Product under Consideration' (PUC). These tiles are of the specification 300 x 450 and 400 x 600. These tiles are manufactured by a number of producers in India. Applicants contend that they are the only manufacturers of the subject goods in India. It has been submitted that the statement is blatantly wrong. The Association is in a position to show that the Applicants do not even produce 25% of the Indian domestic production, let alone producing 100%. The claim of the Applicants that they only constitute the domestic industry is wrong, the burden lies upon the Applicants to show that they have requisite qualification under the proviso to Rule 5(3) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 to initiate an investigation. It has also been submitted that there are other producers who are producing similar size of tiles and in this regard some quotations purported to be of such producers were also submitted.
10. The authority has noted that no producers other than applicants came forward to expressly support or oppose the investigation. Further, Indian Council of Ceramic Tiles and Sanitaryware (ICCTAS), the association of producers stated that there are no other manufacturers of tiles of sizes which are under investigation. The Authority

therefore holds that the applicants have desired 'standing' in this investigation. Further, the companies providing data account for 100% of total production, therefore constitute domestic industry within the meaning of the Rule 2(b).

11. After the preliminary findings, Morbi Dhuva Glaze Tiles Association claimed that their members are producing the 'Like Article'. The Association was asked to advise its members to file the submission on the prescribed format with the necessary information, however, no reply has been received or any of their member has submitted any information of their production of the Like Article. The Authority therefore did not find any reason to re-examine the issue of 'Standing'.

D. Confidentiality

12. In the findings the data of the domestic industry concerning capacity, production and sales etc. have not been kept confidential, however the information concerning customers, prices and costs have been considered confidential.
13. The confidentiality claims of the cooperating exporters relating to their data have been accepted and data/information has been kept confidential as claimed by them in this investigation.

E. Other issues

E.1 Imports by the applicant

14. It has been contended by Karnataka Marble and Granite Association that M/s Kajaria Ceramics Ltd. is importer and exporter of ceramic tiles. It has also stated that this information is also available on their website Kajaria World. In this regard it has been clarified that M/S Kajaria Ceramic Ltd has imported Vitrified tiles and not ceramic tiles. It has been clarified that no imports have been made in the last three years.

Methodology for Dumping Margin Determination

F.1 Examination of the responses of Exporters and Market Economy Treatment

F.2 Submission made by domestic industry

15. It has been submitted China is a non-market economy country under the Indian Anti-dumping Rules. Therefore, the normal value for China is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules.
16. It has also been submitted that the normal value is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country or the export prices from such a third country to any other country including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

17. It has further been submitted that for the purpose of determination of normal value in case of a non-market economy country, an appropriate third market economy country is required to be selected as the first alternative. Therefore it was proposed that Italy be taken as an appropriate market economy third country. It was also stated that the capacity in Italy for manufacturing the subject goods is close to the manufacturing facility in China PR. In support of this proposal it has been submitted that in Italy the industry structure, the average capacity of plants, the cost structure, the production process and the technology are reasonably and fairly close to that found in China PR. And the domestic industry has no links or relationship with any of the producers in Italy. Further it has been stated that this proposition is also guided by the fact that Italy is a market economy country with considerable competition within the local producers as well as from imported goods. Such conditions are a good indicator of market determined prices.
18. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country as per para 8(2) of Annexure 1 of the Rules, for purposes of an anti dumping investigation. Upon initiation, the Authority advised the Producers/Exporters in the subject country to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status.
19. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known exporters for rebutting presumption of non market economy in accordance with criteria laid down in para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China PR and to advise producers/exporters in their country to provide information.

F.3 Submissions by Exporters and their Examination

(a) Foshan Shunshui Summit Ceramic Co Limited and Shunshui Newpearl Building(Producers)-Foshan Newpearl Trade Company Limited and Foshan Summit Kangjian Ceramics Co. Limited(Exporters)

20. The authority notes that these producers /Exporters have already been examined for market economy treatment in some other investigation. During the verification, no new information has come to the notice of Authority which would result in the change of status already accorded to this Group. Therefore, no fresh examination has been done for these entities and these entities have been treated as working in accordance with market principles for the purpose of this findings. The Normal Value for these entities has been determined in accordance with paragraph 1 to 6 of Annexure-1 of the Rules.

(b) Sichuwan New ZhongYuan Ceramics Co., Ltd (producer and exporter), Foshan New Zhong Yuan Ceramic Company Limited.(Producer), Foshan City Sandebo Ceramics Co Limited (Exporter), Foshan Lungo Ceramics Co Limited (Exporter), New Zhong Yuan Import & Export Company Limited of Guangdong (Exporter), Foshan Xin Yue Ceramic Co Limited (Exporter), Company name: Foshan Xin Nan Yue Building Ceramics Co Limited (Exporter)

21. The authority notes that these producers /Exporters have already been examined for market economy treatment in some other investigation. During the verification, no new information has come to the notice of Authority which would result in the change of status already accorded to this Group. Therefore, no fresh examination has been done for these entities and these entities have been treated as working in accordance with market principles for the purpose of this findings. The Normal Value for these entities has been determined in accordance with paragraph 1 to 6 of Annexure-1 of the Rules.

(c) Guangdong Winto Ceramic Co., Ltd (producer and exporter)

22. The producer/exporter has made detailed submissions for rebutting the presumption of non-market economy to satisfy the criteria laid down in para 8 (3) of the Annexure-1 of the Rules. The Authority verified the submitted information and it was noted that no evidence was found which could distort the production cost and financial situation of the producer. Also, no evidence could be found indicating that significant distortions have been carried over from the former non-market economy system. Other parameters of Para 8(3) were also examined concerning decision making with regard to price, cost and inputs etc.. However, no evidence has been found indicating any significant state interference in the working of the company. In view of the above, the Authority decides to treat the producer/exporter working in accordance with market principle for the purpose of this findings. The normal value for the producer/exporter has been determined in accordance with paragraph 1 to 6 of Annexure-1 of the Rules.

(d) Topbro Ceramics Co., Ltd (Topbro) (producer) & A Foshan Junjing Industrial Co., Ltd (Junjing) (Exporter)

23. During the verification it was noted that producer has changed the data. It was also noted that the sale of producer was made as domestic sales only. From the documents, claimed export activities of the producer cannot be segregated from the domestic sales. From the records of the producer, it was not possible to ascertain actual exports of the producer. Further, in response to the exporters' questionnaire in the Appendix-2, the sale has been shown as domestic sales to India.

24. In view of the above, the data of the producer and unrelated trader cannot be taken into account for determination of dumping margin.

**(e) LOUIS VALENTINO (INNER MONGOLIA) CERAMIC CO. LTD ("LVCC")
(Producer) and Foshan HCC Building Material Co., Ltd. (Exporter)**

25. During on the spot verification it was noted that the producer had made all sales as domestic sales only. From the records of the company, the claimed export activities of the producer cannot be segregated from the domestic sales. It was also noted that the data of one of the unrelated trader was provided which has made exports to India. The other unrelated trader has also claimed to have made exports by procuring the goods from the producer and it was also claimed that export by the other trader was made to other countries. However, from the records of the company the claim of the producer could not be verified as all sales by the producer has been shown as domestic sales.
26. In view of the above, the data of the producer and unrelated trader cannot be taken into account for determination of dumping margin.

(f) R. A. K. (GAO YAO) CERAMICS CO. LTD.

27. The above producer/exporter rectified the deficiencies and verification of the data was conducted. During the verification, it was noted that the exporter has incorrectly intimated that all sales were on ex-factory term. It was further noted that the expenses related to export transactions were also incorrect. After the verification, a revised set of data was provided and it was informed that all the corrections in the data have been made. The cost information was also revised during the verification. In view of the fact that data of the producer/exporter has been found to be incorrect, therefore, the response has not been taken into consideration in the findings.
28. After the disclosure statement, it has been stated that in the disclosure statement the DGAD has not mentioned about the market economy treatment to RAK whereas in verification report the documents have been found to be correct. It has been requested that market economy claim of RAK should be expressly accepted in the final findings. In this regard, the Authority notes that the data of RAK has been rejected because of incorrectness of the data as have been found out during the verification. Therefore, there is no point of giving any decision concerning market economy treatment by making analysis of documents submitted in this regard for claiming market economy treatment.
29. It has also been stated that factual inaccuracy in the data concerning exports transactions occurred *"RAK did not understand the requirement of DGAD fully". Due to its inability to understand the requirements, some errors had crept into the various appendices.* It has also been stated that *"RAK rectified some of the errors it was able to identify and filed necessary revisions at the start of the verification"*. In this regard, the Authority notes that RAK actually had submitted misleading data. It is not understood how terms of delivery were disclosed as ex-factory for all exports transactions whereas actually many of the transactions were on FOB and CIF basis. It is also not understood how they have not disclosed the expenses incurred in effecting these exports. The invoices of exports sales were denominated in US\$ whereas in the exporters' questionnaire, the information was provided in Chinese currency. The information provided was in such a manner that no meaningful verification could be conducted. During the verification, data was revised twice,

however, it still remains incorrect. After the verification, submission of revised information to the team carry no meaning as it was not possible to re-check the accuracy of information provided.

30. It has been pointed out that as per paragraph 7 of Annexure 1 of WTO Anti-Dumping Agreement, on-the-spot verification is conducted "to verify information provided or to obtain further details". It has also been stated that the main purpose of the on-the-spot verification includes not only verification of information provided but also to obtain further details. The Authority notes that the main purpose of verification is to verify the information already provided and to see the back-up data of the information already provided. The phrase 'to obtain further details' need to be interpreted in this context. It cannot be interpreted to collect the fresh information. The actual purpose of verification is to check whether information provided is correct or not. The RAK in this case has actually not only provided wrong information but it was misleading one as the information about terms of delivery cannot be considered information of which they were not aware of.

31. It has been further pointed out that para 5 of Annexure-II of WTO ADA provides "Even though the information provided may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability". And it has been stated that in terms of this provision, before rejecting the information, the DGAD should have examined whether RAK has acted to the best of its ability and it has also been alleged that DGAD has not examined this aspect at all. The Authority notes that RAK had originally submitted the deficient response after the permitted time. In the preliminary findings, the response was ignored. After the preliminary findings, Designated Authority condoned the delay and allowed the company to rectify the deficiencies and verification was conducted. The DA has actually given the opportunity to the exporter to complete the response but the exporter provided the misleading information which was found out during the verification. It is not clear how it can be interpreted that the exporter has acted to best of its ability when it was misinforming about the actual terms of delivery and expenses associated with the exports.

32. It has also been submitted that a new sub-section 6(A) to Section 9(A) makes it mandatory to determine dumping margin. After introduction of this provision, DGAD has no power whatsoever to reject the information given by exporter or producer. DGAD can reject the information only when exporter or producer fails to provide the records or information. The Authority notes that the new provision cannot be interpreted that whatsoever data is submitted to DGAD should be accepted though it may be misleading. In this case, we have not accepted the data of the exporter as it was incorrect and misleading.

(g) Guangdong Ouya Ceramic Co. Ltd

33. The exporter has submitted the response after permitted time and considerably delays. It has also been noted that the company belongs to Ouya group and various companies of the group are involved in production and sales of vitrified tiles and ceramic tiles. It has further been noted that no response about the group companies has been submitted. Even after the preliminary findings, no effort was made by the

exporter to rectify the deficiencies. Therefore, for the purpose of the findings, the response of the exporter has not been taken into consideration.

(h) Foshan Fotiles Ceramics Co Ltd.

34. The response submitted by the company was found to be highly deficient and not supported by any data or supporting evidence. After the preliminary findings, some information was submitted, however, the response remained deficient in many respect. It was further noted that the information was filed by the importer on behalf of the exporter, which could not be taken into consideration. Therefore, the response of the above mentioned company has not been taken into consideration in the findings.

(i) Kingkong Building Material Co. Ltd

35. The response by this company was found to be highly deficient and not supported by any data or supporting evidence. Therefore, the response has not been taken into consideration in the findings.

**(j) M/s Gaoyao Tegaote Ceramics Co. Ltd, manufacturer and related exporter
M/s Foshan Everlasting Co. Ltd. (exporter), China**

36. The response of the company was received after the preliminary findings. As the information was filed after considerable lapse of permitted time, therefore, the Authority has not condoned the delay and the response has not been taken into consideration in the findings.

F.4 Normal Value

F.5 Normal Value for non-cooperating Exporters and Exporters whose responses have not been taken into consideration from China PR

37. In anti-dumping investigations concerning imports originating in non-market economy normal value shall be determined in accordance with para 7 of Annexure I of the AD Rules. The Authority notes that para 7 of Annexure 1 of AD Rules provide that:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin."

38. As explained above, the market economy status has not been accorded to all of the responding exporters. Therefore the normal value has been determined in accordance with para 7 of annexure I of the Rules. The domestic industry at the time of application has proposed Italy as a surrogate country for determination of normal value; however no information was made available to the authority about details of manufacturers in Italy. In the responses by the cooperating exporters as well no comment has been provided about the Italy as an "appropriate market economy third

country". The authority has therefore determined the normal value in accordance with method "any other reasonable basis".

39. For the purpose of calculating the normal value the prices of raw materials in India, consumption norms and conversion cost of the producer of the domestic industry have been taken into account. A profit @ 5% has been added to arrive at the normal value. By this methodology the normal value has been determined as \$ ***Sqm.

**F.6 Normal value for Cooperating Exporters
(Accorded Market economy Treatment)**

40. For the purpose of calculating the normal value for following cooperating exporters who have been granted market economy status in accordance with paragraph 8(3) of Annexure-1 of the Rules, the Normal Value has been determined in accordance with paragraph 1 to 6 of the Annexure-1 of the Rules.

Guangdong Winto Ceramic Co., Ltd (producer and exporter)

41. The above mentioned producer/exporter has submitted transaction-wise details of home sales. For the purpose of determination of Normal Value, all home sales transactions to non-affiliated customers have been taken into consideration. The transactions conducted in the ordinary course of trade have been taken into consideration for calculation of the normal value. As the home sales transactions were made at the ex-factory level, therefore, no expenses in connection with the home sales have been adjusted. The home sales have been made of different sizes in different grades. The PUC have been exported in different sizes, therefore, the weighted average Normal Value has been calculated for those identical sizes of comparable grade for comparing the same with the respective export sales to India.

Sichuwan New ZhongYuan Ceramics Co., Ltd (producer and exporter), Foshan New Zhong Yuan Ceramic Company Limited.(Producer), Foshan City Sandebo Ceramics Co Limited (Exporter), Foshan Lungo Ceramics Co Limited (Exporter), New Zhong Yuan Import & Export Company Limited of Guangdong (Exporter), Foshan Xin Yue Ceramic Co Limited (Exporter), Company name: Foshan Xin Nan Yue Building Ceramics Co Limited (Exporter)

42. The product under consideration has been exported by two producers of this Group situated at different locations. Each producer has provided transaction-wise details of home sales. For the purpose of determination of Normal Value producer-wise, all home sales transactions to non-affiliated customers have been taken into consideration. The transactions conducted in the ordinary course of trade have been taken into consideration for calculation of the normal value. As the home sales transactions were made at the ex-factory level, therefore, no expenses in connection with the home sales have been adjusted. The PUC have been exported in different sizes and series, therefore, the weighted average Normal Value have been calculated for those identical sizes and series for comparing the same with the respective export sales to India.

Foshan Shunshui Summit Ceramic Co Limited and Shunshui Newpearl Building(Producers)-Foshan Newpearl Trade Company Limited and Foshan Summit Kangjian Ceramics Co. Limited(Exporters)

43. The product under consideration has been exported by two producers of this Group. The producers have provided transaction-wise details of home sales. For the purpose of determination of Normal Value producer-wise, all home sales transactions to non-affiliated customers have been taken into consideration. The transactions conducted in the ordinary course of trade have been taken into consideration for calculation of the normal value. As the home sales transactions were made at the ex-factory level, therefore, no expenses on account of home sales have been adjusted. The PUC have been exported in different series and sizes, therefore, the weighted average Normal Value have been calculated for those identical series and sizes for comparing the same with the respective export sales to India.

F.7 Export Price for Cooperating Exporters

Guangdong Winto Ceramic Co., Ltd (producer and exporter)

44. The exporter has provided transaction wise details of exports to India during the period of investigation. For the purpose of findings all transactions of exports have been taken into consideration for determination of export price. The expenses incurred on account of overseas freight, bank charges, Loss on VAT paid and other expenses claimed by exporter have been adjusted to arrive at ex-factory export price. By this methodology the ex-factory weighted average export price have been determined for each size separately.

Foshan Shunshui Summit Ceramic Co Limited and Shunshui Newpearl Building(Producers)-Foshan Newpearl Trade Company Limited and Foshan Summit Kangjian Ceramics Co. Limited(Exporters)

45. The exports to India have been made through two related exporters. The export prices for each exporter have been calculated separately as follows:-

Export Price of Foshan Newpearl Trade Company Limited

46. The above mentioned exporter has provided transaction-wise details of exports to India. After verification, all transactions of exports have been taken into consideration. It has been noted that exports sales were made of different series and sizes. All sales transactions during POI were on FOB term basis. The expenses on account of inland freight, bank charges, port expenses, loss on VAT paid and SGA expenses of the exporter have been adjusted to calculate the ex-factory Export Price. The weighted average export prices have been calculated separately for each series and sizes for making comparison with the Normal Value of relevant series and sizes of two different producers.

Export Price of Foshan Summit Kangjian Ceramics Co. Limited

47. The above mentioned exporter has provided transaction-wise details of exports to India. After verification, all transactions of exports have been taken into consideration.

It has been noted that exports sales were made of different series and sizes. All sales transactions during POI were on FOB term basis. During the verification, it was noted that the exporter has not revealed the expenses on account of inland freight, customs related expenses and bank charges. It was stated that they would provide the average SGA expenses which would include the expenses on account of inland freight, customs related expenses and bank charges. The expenses were subsequently provided, however, it remained unverified as the direct expenses on these account should have been provided separately for each transactions. The Authority has therefore not calculated the export prices for this exporter.

Sichuan New ZhongYuan Ceramics Co., Ltd (producer and exporter), Foshan New Zhong Yuan Ceramic Company Limited.(Producer), Foshan City Sandebo Ceramics Co Limited (Exporter), Foshan Lungo Ceramics Co Limited (Exporter), New Zhong Yuan Import & Export Company Limited of Guangdong (Exporter), Foshan Xin Yue Ceramic Co Limited (Exporter), Company name: Foshan Xin Nan Yue Building Ceramics Co Limited (Exporter)

48. The exports to India have been made through following related exporters. The export prices for these exporters for the material procured from the producer Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd. (formerly known as Foshan New Zhong Yuan Ceramic Company Limited) have been calculated separately:-

- (a) Foshan City Sandebo Ceramics Co Limited
- (b) Foshan Lungo Ceramics Co Limited
- (c) New Zhong Yuan Import & Export Company Limited of Guangdong
- (d) Foshan Xin Yue Ceramic Co Limited
- (e) Foshan Xin Nan Yue Building Ceramics Co Limited

49. The above mentioned exporters have provided transaction-wise details of exports to India. After verification, all transactions of exports have been taken into consideration. It has been noted that exports sales were made of different sizes and series. All sales transactions during POI were on FOB and C&F terms basis. The expenses on account of inland freight, bank charges, port expenses, loss on VAT paid, SGA expenses and freight, wherever appropriate, of the exporters have been adjusted to calculate the ex-factory Export Prices. The weighted average export prices, exporter-wise, have been calculated separately for each sizes and series for making comparison with the Normal Value of relevant sizes and series of the producer.

Sichuan New ZhongYuan Ceramics Co., Ltd (producer and exporter)

50. The exports have also been made to India by the above mentioned producer. The above mentioned producer/exporter has provided transaction-wise details of exports to India. After verification, all transactions of exports have been taken into consideration. It has been noted that exports sales were made of different sizes and series. All sales transactions during POI were on C&F term basis. The expenses on account of inland freight, bank charges, port expenses, loss on VAT paid, SGA expenses and freight, of the exporter have been adjusted to calculate the ex-factory Export Prices. The weighted average export prices

have been calculated separately for each sizes and series for making comparison with the Normal Value of relevant sizes and series.

Export price for non-cooperating exporters or exporters whose responses were found to be deficient or not found to be in order.

51. To determine the export price from non-cooperating exporters details of the transaction-wise export made to India by DGCI&S has been taken into account. As the transactions are on CIF basis therefore to determine ex factory export price, the expenses incurred on account of export to India have been adjusted. For this purpose expenses on account of overseas freight, insurance and had been taken into account and adjusted. In this regard information provided by cooperating importer has been relied upon. By this methodology the ex-factory export price has been determined as \$ ***/SQM.

F.8 Dumping Margin

52. After the Disclosure Statement, It has been contended by the domestic industry that dumping margin should be determined for single producer/exporter. It has been stated that *"Indian Anti-dumping Law does not provide for determination of dumping margin and recommendation & imposition of anti-dumping duty for a combination of producer and exporter as it is nowhere laid down that dumping margin is to or can be determined based on the normal value for one entity and the export price for another. The anti-dumping provisions are very clear that the individual dumping margin is to be determined based on the normal value and export price for same individual entity. In any case, there cannot be any situation where the dumping margin is determined for a group of two or more parties as such a combination does not have any sanctity of law"*. It has also been submitted that *"words used in the Annexure 1 are "exporter or producer" and nowhere in the entire Indian Anti Dumping Rules, the words, "exporter and producer" have been used. The expression in the WTO Agreement on Anti-dumping is also "exporter or producer" and not "exporter and producer". This is beyond any doubt that the dumping margin is to be determined for an individual entity but not for a combination or group"*. Further it has also been submitted that the present system of combination duties makes it possible for the producers to plan their sales in such a manner by which they can always leave open a window where dumping margin is the lowest. Since dumping margin is essentially producer specific, it is clear that dumping margin for any producer has to be determined for all exports made to India and not the selective exports at the choice of the producer.

53. The Authority notes that the producers and exporters of the group(s) in this investigation, are related. In addition, producers also in the same group are related. All exports transactions and domestic sales of the groups have been taken into consideration to determine weighted average dumping margin. In fact, to determine dumping margin producer-wise or exporter-wise would lead to circumvention as negative dumping margin in any of the entity would open window for exports by the group as the producers and exporters in the groups are all related. In case of related party transactions, as in the present case, single dumping margin for a group as a whole is meaningful.

54. It has also been stated that the Authority should call complete information from the producer and all the exporters who have sold goods to India. And the weighted

average export price may be determined for all the exporters without determining any separate export price for each exporter. The Authority notes that in this case the export price has been compared with the normal value for the same product/of the same series/quality. The individual dumping margin of each exporter has been combined to determine the weighted average dumping margin depending upon the weight of each export. In any case, complete information on domestic sales and export prices to India, have been taken into account for determination of weighted average dumping margin

55. Based on the normal values and export prices as determined by above mentioned methodologies the weighted average dumping margins were determined separately for each sizes, thereafter weighted average for each exporter or combinations have been determined as under:

Producer	Exporter	Dumping Margin
		Considering weighted average normal value
Foshan Baifeng Building Materials Co. Ltd. (Formerly known as Foshan NZY Ceramics)	Foshan Lungo Ceramics	***
	SANDEBO	***
	NZY Import Export	***
	XINNANYUE	***
	XINYUE	***
Sichuan NZY	Sichuan NZY	***
Weighted average for NZY Group		-6.90
Guangdong Winto Ceramic Co.	Guangdong Winto Ceramic Co.	-5.16%
Foshan Shanshui Newpearl Ceramics Building Co., Ltd.	Foshan Newpearl Trade Co Limited	***
Foshan Shanshui Summit Ceramics Co., Ltd.	Foshan Newpearl Trade Co Limited	***
Weighted average for Newpearl Group		-6.88%
Other producers from China PR	Other Exporters from China PR	119.35%

The above determined dumped margins for other producers/exporters are more than de minimis.

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

G.1 View of the domestic industry

The domestic industry made the following submissions:-

56. Imports from China have increased phenomenally to almost 3 times i.e. 56.18 Lacs SQM in the period of investigation from 20.46 Lacs SQM in the base year. The increase in imports from China in the period of investigation is also sharper as compared to immediate previous year 2006-07. It clearly indicates that the imports

from China have been able to capture a significantly higher market share due to aggressive dumping by the exporters from the subject country.

57. Further, imports from China in comparison to the total demand in India have increased from 32% during April 04-March 05 to 52% during the period of investigation. The increase in share of imports in total demand in the period of investigation is also sharper as compared to immediate previous year. This clearly goes to show that the imports from China have been able to capture a substantial slice of demand in the domestic market due to the aggressively dumping the subject goods.
58. The imports from China as percentage of domestic production have increased phenomenally from 48% in the year April 04-March 05 to 114% during the period of investigation. There has been a whopping increase of almost 2.5 times in the imports as percentage of domestic production over the injury investigation period. It is a clear indicator that the growth in the market has directly been taken over by the dumped imports from China.
59. It has been submitted that the landed value from China over the injury investigation period has increased. However, the same is still lower than the domestic selling price which has resulted into significant price undercutting. The lower import prices from China have forced the domestic industry to reduce the selling prices thereby depressing the domestic price. It has also been submitted that the cost of the domestic industry has increased over the injury investigation period. However, the Chinese imports prevented the domestic industry to increase its prices and the same are suppressed. Thus, the imports from China have not only depressed the domestic prices but also suppressed the domestic prices.
60. The market share of the domestic industry has declined from 66% in April 04-March 05 to 44% during the period of investigation. The market share of the domestic industry has significantly declined despite the fact that the demand in the country has increased by 72% over the injury investigation period. It clearly indicates that the drastic decline in market share of the domestic industry has been affected only by aggressively dumping of the subject goods by China.
61. The capacity to produce the subject goods is not separately available. The analysis of the capacity utilization has been made by considering the production of all the products including the subject goods. Moreover, the applicant namely M/s Kajaria Ceramics Ltd. started producing the subject goods in the period of investigation only. Therefore, the analysis of the capacity utilization in the present case does not give the actual effect of dumped imports.
62. The productivity per employee during the period of investigation has improved as compared to base year 2004-05. Thus, indicating the loss of productivity is not a cause of injury to the Domestic Industry.
63. The sales volume of the domestic industry in the POI as compared to base year has increased over the injury investigation period. However, the market share of the domestic industry has declined by about 22% over the injury investigation period in a

growing market where the total demand has increased by about 72%. It clearly indicates that the growth in the market has directly been taken over by the dumped imports from China. Thus, the domestic industry is severely injured with respect to its sales volume as well as market share.

64. The number of employees engaged by the applicant has come down over the injury investigation period whereas the wages paid to them have increased over the injury investigation period.
65. The profitability of the domestic industry has severely been affected due to dumped imports from China. The domestic industry is prevented from increasing its prices and the same have come down over the injury investigation period which has directly affected their profitability. The losses have increased over the injury investigation period worsening the injury to the domestic industry. It has been mentioned that even though injurious dumping had been taking place for some time, the domestic industry did not approach the Hon'ble Authority with the hope that the Chinese prices will improve and so will the situation of the domestic industry. However, contrary to expectations, the marginal increase in the Chinese prices is not in line with the increasing costs. For the domestic industry, the prices have actually come down even though the costs have gone up which has resulted in further deterioration of the profitability of the domestic industry.
66. It has been submitted that the return on capital employed (ROCE) of the domestic industry has become negative in the period of investigation from a positive return in the base year 2004-05. This is mainly due to decline in the profitability of the company as a result of large scale dumping by China.
67. The domestic industry has been severely injured as the level of stock has increased over the injury investigation period.
68. The injury to the domestic industry due to the dumped imports is further accentuated by the fact that not only the subject goods are being heavily undersold, the exporters from the subject country are also indulging in significant price undercutting. It may be noted that there is abnormally high price undercutting. Thus, there is a constant pressure on the domestic industry to bring down their prices. It has also been submitted that the landed value of the product under consideration from the subject country is also much lower than the prices the domestic industry ought to have realized on the sales of the subject goods.
69. It has been submitted that the cash flow position of the petitioner has deteriorated during the period of investigation. There is a decline of (***) % over the injury investigation period.
70. It has been submitted that the demand in the country has increased over the injury investigation period by 72% whereas the market share of the domestic industry has come down drastically by 32% over the same period. The growth is also severely negative with respect to profitability, cash flow and ROCE. This clearly indicates that the exporters from China have captured a substantial share of the domestic industry's market share by selling at dumped prices which is evidently clear from the growth in imports.

71. The future investment in the sector is marred by the presence of dumped imports from China. The negative profitability, negative cash flow and negative returns clearly indicate that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector is jeopardized by the dumped imports.
72. In addition to the fact that material injury is being caused to the Domestic Industry, It has been submitted that the threat of material injury to the Domestic Industry is imminent.
73. The imports from the subject country have shown a significant increase during the period of investigation as compared to the base year as well as the preceding periods. The imports have gone up from 20.46 Lacs SQM in April 2004-March 2005 to 56.18 Lacs SQM during the POI.
74. Imports from the subject country are coming at extremely low prices, which do not allow the domestic industry to earn reasonable returns. The profitability of the domestic industry due to current severe undercutting by China has become severely negative. If the same trend continues, it would not only lead to further losses to the domestic industry but it would also become very difficult for the domestic industry to operate and survive. Therefore, an immediate action to curb the present dumping from China would be in the interest of domestic industry.
75. The Domestic Industry also understands that there are huge disposable capacities and surplus production in China, which is likely to find its way into the Indian market if anti-dumping duties are not immediately imposed.
76. It has been stated that the inventories of the domestic industry have also significantly increased over the injury investigation period. It clearly indicates that the same would further increase in case immediate measures are not adopted to impose the anti-dumping duties.

Concerning Causal link it has been submitted:

77. The imports of subject goods from sources other than China are ~~de minimis~~ during the period of investigation. Only the imports from China are ~~being made~~ at dumped prices and are above the ~~de minimis~~ limits causing material injury to the petitioners. It has also submitted that the imports from European Union are ~~also~~ above the ~~de minimis~~ limits. However, their prices are well above the prices of China as well as current domestic prices and the desirable selling prices. Therefore, the same have not caused injury to the domestic industry.
78. The demand in the country has grown up by 72% over the injury investigation period. Hence, there is no decline in demand during the period of investigation and decline in demand is not a factor of injury to the domestic industry.
79. There is a single market for the subject goods where dumped imports compete directly with the goods produced by the domestic industry. The price determines the choice of supplier. The dumped goods are substituting the product of the indigenous producers. The imported product is also sold to meet the similar commercial grades,

standards and specifications, as domestically produced subject goods. The imported goods and the domestically produced goods are like articles and are used for the same applications/end uses. Thus, pricing becomes the most important factor for purchasing the article either from imported sources or domestic sources. The domestic industry is not realizing reasonable selling price / profit with respect to subject products. This can directly be attributed to the low priced imports from China as the domestic industry is always expected to match the prices offered by the importers from the subject country. There are no trade restrictive practices or technology issues which can be attributed to the cause of injury to the domestic industry. The productivity of the domestic industry has also gone up and, therefore, has not caused any injurious effect on the financial state of the domestic industry. As regards the competition between the foreign and domestic producers, it has been submitted that the domestic industry is suffering only on account of unfair trade due to dumped imports from China. If the imports take place at the fair normal prices, the domestic industry is totally in a position to face the competition from imports. There are no exports by the domestic industry during the injury investigation period. Therefore, the question relating to exports is not applicable.

G.2 View of Other Interested parties

G.3 Submissions by The Karnataka Marble and Granite Association

80. The Trade between India and China is governed by Asia Pacific Trade Agreement which describes a decreasing rate of Custom Duty.
81. On perusal of the sale prices of the Applicants' tiles in respect of the subject goods and those of other domestic producers, it will be evident that the Applicants sell their products at a price higher by Rs.15-17 per square foot from such other producers. The reason for such inflated rates of sale are unknown to other members of industry.
82. It has been submitted that domestic industry has been unable to keep up with increase in demand. It is evident that demand has increase by 60% in 2004-05 to 2007-08, whereas the domestic industry has only increase production about 17%.
83. Applicants have been investing substantial amounts in expansion of their production capacity. If despite such investment and expansion in their production capacities, the applicants have not been able to produce more, the fault ought to lie not with reasonably priced imports from various countries, but because of a fault that is peculiar to the Applicants.

G.4 Examination by the Authority

84. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti- Dumping Rules lay down that

"A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in

the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products."

85. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the Anti Dumping Rules states:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments."

86. The Authority has examined the arguments of the domestic industry and other interested parties and noted that the parameters relating to injury of the domestic industry are analyzed on the basis of data submitted by the domestic industry and verified/counter-checked from the records of the domestic industry. The analysis of various aspects of the injury to the domestic industry are as under:-

Volume and market share in dumped imports

87. Imports data from DGCI&S has been relied upon for analysis. Imports volume from subject country and other countries has been analysed as under:

G.5 Market Share of Imports from the Subject country (% of Total Imports)

88. The share of imports from the China in total imports is 87% during the period of investigation. It has been noted that during the POI, imports from China have increased to. 29.36 Lacs SQM in the period of investigation from 15.76 Lacs SQM in the base year.

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Imports from Subject Countries (SQM)	1576648	1696612	2408784	2936125
Total Imports (SQM)	1946096	1932083	2765639	3382305
% Share	81%	88%	87%	87%

G.6 Market Share of Imports from the Subject country (% of Total Demand)

89. Further, imports from China in comparison to the total demand in India have increased from 26% during April 04-March 05 to 36% during the period of investigation.

	April 04- March 05	April 05- March 06	April 06- March 07	POI
Imports from Subject Countries (SQM)	1576648	1696612	2408784	2936125
Total	6087707	6106192	7102276	8193071

Demand (SQM)				
% Share	25.90%	27.79%	33.92%	35.84%

G.7 Imports from the subject country as % of domestic production

90. The imports from China as percentage of domestic production have increased from 37% in the year April 04-March 05 to 60% during the period of investigation.

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Imports from Subject Countries (SQM)	1576648	1696612	2408784	2936125
Production (SQM)	4272465	4436570	4635414	4914728
% Share	36.90%	38.24%	51.96%	59.74%

91. The above data indicates that the imports from China have increased not only in absolute terms but have also increased in relation to total imports, total demand and domestic production.

G.8 Changes in Market Share held by the Indian Producers.

92. The market share of the domestic industry has declined from 68% in April 04-March 05 to 59% during the period of investigation. It has been noted that the market share of the domestic industry has declined despite the fact that the demand in the country has increased by 35% over the injury investigation period.

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Domestic industry Sales (SQM)	4138608	4174109	4336637	4810765
Total Demand (SQM)	6087707	6106192	7102276	8193071
Trend	100	100	117	135
Domestic industry Share	67.98%	68.36%	61.06%	58.72%
Trend	100	101	90	86

G.9 Capacity, production & capacity utilization

93. Capacity, Production and Capacity Utilization of the domestic industry has been analysed as under:

94. It has been noted that capacity for subject goods is not separately available, therefore the analysis of the capacity utilization has been made by considering the production of all the products including the subject goods. The capacity of the domestic industry has increased by 28% in POI as compared to base year. Similarly the production of subject goods has increased by 15% in POI as compared to base year. The production of all goods produced in same facility has increased by 25%

3704 8:27:09 -8

during the same period. The capacity utilization however, has declined to 67% in POI as compared to base year. It has also been noted that M/s Kajaria Ceramics Ltd. one of producers started producing the subject goods in the period of investigation only. Therefore, the evaluation of the capacity utilization in the present case is cannot be taken as correct indicator of injury to the domestic industry.

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Capacity (SQM)	30373500	30373500	38773500	38773500
Indexed	100	100	128	128
Production (SQM)	20723132	22764196	27827858	25835051
Indexed	100	110	134	125
Capacity Utilisation%	68%	75%	72%	67%
Production-PUC (SQM)	4272465	4436570	4635414	4914728
Indexed	100	104	108	115

G.10 Sales

95. The sales volume of the domestic industry in the POI as compared to base year has increased by 16% over the injury investigation period. However, the market share of the domestic industry has declined by about 69% to 58% over the injury investigation period in a growing market where the total demand has increased by about 35%. Indicating that the growth in the market has been captured by the dumped imports from China PR.

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Sales (SQM)	4138608	4174109	4336637	4810765
Trend	100	101	105	116
Sales Value (Rs Lacs)	***	***	***	***
Trend	100	97	98	112

96. The profitability, profits and cash flow of the domestic industry are given in the following table:-

G.11 Profitability and Cash flows

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Net Sales Price (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Indexed	100	97	98	112
Net Sales Price (Rs / Sqm)	***	***	***	***
Indexed	100	96	94	96
Cost of sales (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Indexed	100	106	99	118
Cost of sales (Rs./Sqm)	***	***	***	***

Indexed	100	105	95	102
Profit/Loss (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Indexed	-100	-328	-126	-275
Profit/Loss (Rs.Sqm)	***	***	***	***
Indexed	-100	-328	-120	-237
Profit Before Interest	***	***	***	***
Trend	100	-112	42	-36
Depreciation (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Cash profit (Profit before depreciation) In Rs. Lacs	***	***	***	***
Indexed	100	-39	77	-31

97. The data of the domestic industry shows that the cost of sale per Sqm has increased to 102 (indexed) in POI as compared to 100 of base year. In terms of value the cost of sale increase by Rs. 5 per Sqm. During the same period the net sales of realisation of the domestic industry declined to 96 (indexed) in POI as compared to 100 of the base year. In terms of value the sale price declined by Rs15/- per Sqm. The loss per Sqm. has increased from -100 (indexed) in the base year to -275 in the POI.

98. The data indicates that the losses continued during the entire Injury period. The PBIT which was positive in base year from 100 (indexed) become negative 36 in the POI.

G.12 Cash Flow

99. Authority has evaluated cash profit situation of the domestic industry, which shows that cash profit declined from base year to POI. In indexed form, from 100 in base year it became -31 in POI.

G.13 Factors affecting domestic prices

100. During the injury period the basic custom duty declined from 6.45%(under Bangkok Agreement) in 2004-05 to 4.30% in the POI. The cost of sale from base year in 2004-05 increased by Rs. 5/Sqm in POI. The landed value from subject country though, continue to increase, however, the undercutting continue throughout injury period. The undercutting of selling prices of the domestic industry by imports from subject country was significant during POI.

G.14 Price Undercutting

101. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, weighted average Net Sales Realisation(NSR) and the Non-Injurious Price(NIP) of the domestic industry (worked out on the basis of the costing information of the domestic industry) have been compared with landed value of imports from the subject country.

102. Comparison for subject goods during the period of investigation was made between the weighted average landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, the rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted.
103. It has been noted that the price undercutting by imports from subject country continued throughout the injury period. During the POI the undercutting from subject country was in the range of 25-35%.
104. It is also been noted that the cost of the domestic industry has increased over the injury investigation period. The selling price has declined during the same period indicating that the prices of domestic industry remained suppressed.

Price Undercutting		Subject Country		
	2004-2005	2005-2006	2006-2007	POI
Landed value per MT	***	***	***	***
Domestic Selling Price	***	***	***	***
Price Undercutting	***	***	***	***
% Undercutting	***	***	***	***

G.15 Price Underselling

105. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producers by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The analysis shows that the landed values of subject goods from subject country was much below the non-injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. The underselling margin was within a range of 40-50% for subject goods from subject country during the POI.

Price Underselling

	POI
NIP	***
Landed Price /MT	***
Price Underselling	***
% Underselling	***

G.16 Return on capital employed

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Capital Employed	***	***	***	***
Indexed	100	97	85	76
Profit Before Interest	***	***	***	***
ROCE (%)	***	***	***	***
Trend	100	-116	49	-47

106. The capital employed is a sum of net fixed assets and working capital. The net fixed assets for the product under consideration have been allocated in the production ratio for product under consideration. The working capital has been allocated in the sales ratio of product under consideration. The data shows that the capital employed has declined to 76 in POI as compared to 100 of the base year mainly due to reduction in working capital. The return on capital employed declined from base year to POI.

G.17 Employment and Wages

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
No of Employees	***	***	***	***
Indexed	100	89	81	70
Wages Total (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Indexed	100	121	120	197

107. The data shows that number of employees declined to 67% in POI as compared to base year. The wages to employees however, increased by 97% during the same period.

G.18 Productivity

108. Productivity of the domestic industry, as reflected in terms of production per employee, is given in the following table

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Production(SQM)	***	***	***	***
Employees	***	***	***	***
Production/Employee	***	***	***	***
Index	100	111	112	132

109. The productivity of the domestic industry i.e. production per employee improved by 32% during POI as compared to base year.

G.19 Growth

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Growth in Demand as Compared to the preceding Year (%)		0	16	15
Growth in Sales of the applicants (As compared to the preceding Year (%))		1	4	11

Growth in Market Share of domestic industry as Compared to the preceding Year (%)		1	-11	-4
Profitability as Compared to the preceding Year (%)		-228	62	-118
Cash Flow		-139	-297	-141
ROCE (%)		-216	-142	-195

110. The demand in the country has increased over the injury investigation period, the sale of domestic industry also grew whereas the market share of the domestic industry has shown declining trend. The growth is also severely negative with respect to profitability, cash flow and ROCE.

	Apl 04- Mar 05	Apl 05- Mar 06	Apl 06- Mar 07	POI
Closing stock(Sqm)
Indexed	100	149	204	223

111. The closing inventories of the domestic industry have increased in absolute terms showing the difficulty being faced by the domestic industry to sell the subject goods during the period of investigation.

G.20 Ability to raise capital/investment

112. It has been submitted that the ability of the domestic industry to raise capital investment for any further expansion of capacity is not feasible in view of the low returns during the period of investigation. However in this regard it has been noted that one of constituents of domestic industry has added capacity to produce the subject goods.

G.21 Conclusion

113. The production of goods have increased by 25% (642263 SQM) in POI as compared to base year. The sales have also increased by 16%(672157) against increase in demand of 35% (2105364SQM). The closing stock, however, also increased. In this period the share in demand of the domestic industry has declined from 67.98% to 58.72% in POI. The share of subject countries increased from 26% to 36% in POI, however share of imports from other countries declined from 6% to 5 %. The data indicates that the domestic industry has been able increase the production, sales, but is unable to take advantage of growth in demand as share in demand of domestic industry declined.
114. The cost of sales has increased from 100(indexed) in the base year to 102 In POI i.e. by Rs. 5 per Sqm., the selling price however declined to 96 (indexed) i.e. by Rs.15 per Sqm. the domestic industry was suffering loss (per unit) in the base year and continued to suffer loss during the injury period. The loss per unit in POI increased to -237 (indexed) from -100 in the base year. The PBIT however turned negative from in

POI from positive in the base year. The return on capital employed also turned negative in POI from positive in the base year.

G.22 Causal Link and Other Factors

a. Volume and Prices of imports not sold at the dumped prices

115. It has been noted the imports of subject goods from sources other than China are de minimis except in case of Spain during the period of investigation. It has also been noted that imports from Spain is at considerably higher prices, therefore imports from other countries are not causing injury to the domestic industry.

b. Trade restrictive practice and competition between the foreign and domestic producers

116. The Authority did not find any trade restrictive practices followed by the domestic industry or other Indian producers.

c. Contraction in demand or Changes in the pattern of consumption

117. It is noted that there is no contraction in the demand during the period under consideration. On the contrary, the overall demand has increased by 35% over the injury period. Therefore, possible decline in demand is not a factor which could have caused injury to the domestic industry. There is no argument by interested parties regarding the change in the pattern of consumption, nor has investigation shown possible changes in consumption pattern.

d. Developments in Technology, Export performance and productivity of the Domestic Industry

118. None of the interested parties have raised any issue that these factors could have caused injury to the domestic industry. Further, the investigation has not revealed that technology for production of the subject goods has undergone any significant change. There is no export activity of the domestic industry during the injury period.

G.23 Causal Link

119. The authority notes that there is a significance undercutting of selling price of the domestic industry by the imports from the subject country. The undercutting from subject country however, declined from base year to POI but it is still significant. It has also been noted that every domestic selling price of the subject goods has declined by Rs.15/Sqm in POI as compared to base year whereas cost of sale has gone up by average of Rs.5/sqm during the same period, consequently increasing the losses of the domestic industry. The authority has further noted that subject goods has been showing consistent growth in demand. It grew by 35% in POI as compared to base year. Despite growth in demand the share of domestic industry declined from 68% to 59% whereas the share of subject country increased from 26% to 36% during the same period indicating that advantage of the growth was cornered by the subject country.
120. It has also been noted that there is a available capacity to meet the growth in demand, however the capacity remain underutilized even though there was growth in demand. The authority did not find any other reason except the undercutting by the imports of

subject country impacting the selling price, decline in share of the domestic industry and significant rise in share of the subject country. The above analysis establishes causal link between dumped imports from subject country and injury to the domestic industry.

H. Conclusions

121. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- The subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;
- The domestic industry has suffered material injury;
- The injury has been caused by the dumped imports from subject country.

I. Indian Industry's Interest & Other Issues

122. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

J. Recommendations

123. In view of the above, the Authority considers it necessary and recommends definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

124. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty equal to the amount indicated in Col 9 of the table below is recommended to be imposed from the date of this notification, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

S N	Tariff Item	Description of Goods	Speciation	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6908 9090	Ceramic Glazed Tiles other than Vitrified Tiles	Ceramic Glazed tiles where at least one of the sides (length or width) exceeds 17 inches/431.8 0 millimeters (MM) 43.18 Centimeters (CM) / 1.4167 Feet	China PR	China PR	Foshan Baillong Building Materials Co. Ltd. (formerly known as Foshan New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd.)	Foshan Lungo Ceramics Co. Ltd. Foshan Sandebo Ceramics Co. Ltd. New Zhong Yuan Ceramics Import & Export Co. Ltd. of Guangdong Foshan Xinnanyue Building Ceramics Co.,	NIL	SQM	RS

							Ltd.			
							Foshan Xinyue Ceramics Co., Ltd.			
2	-do-	-do-	-do-	China PR	China PR	Sichuan New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd.	Sichuan New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd.	NIL	SQM	RS
3	-do-	-do-	-do-	China PR	China PR	Guangdong Winto Ceramic Co. Ltd.	Guangdong Winto Ceramic Co. Ltd.	NIL	SQM	Rs.
4	-do-	-do-	-do-	China PR	China PR	Foshan Sanshui Newpearl Building Ceramics Industrial Co., Ltd. or Foshan Sanshui Summit Ceramics Co. Ltd.	Foshan Newpearl Trade Co. Ltd.	NIL	SQM	Rs.
5	-do-	-do-	-do-	China PR	China PR	Any other than combination at Sr. no. 1 to 4 above		137/-	SQM	Rs.
6	-do-	-do-	-do-	China PR	Any other than China PR	Any	Any	137/-	SQM	Rs.
7	-do-	-do-	-do-	Any other than China PR	China PR	Any	Any	137/-	SQM	Rs.

125. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 22nd April, 2009, however duty recommended in para 124 above would be applicable from the date of imposition of provisional anti dumping duty as per Section 9A(2) of the Custom Tariff Act 1975.

126. An appeal against the findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

R. GOPALAN, Designated Authority